



Gi GROUP INDIA COMPLIANCE NEWSLETTER

FEBRUARY'2026 EDITION



Dear Reader,

We are delighted to present the February'26 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications, and amendments.

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of Maharashtra, Assam and Tamil Nadu.

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of february'26. Some of the important announcements made in this newsletter are circular regarding the notification of the Maharashtra State on Profession, Trades, Callings and Employment (Amendment) Rules, 2026, the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025 and many more.

Read further to know more!

Best Regards,
Gi Group India

[Follow For More Updates](#)



About Gi Group India

Gi Group India is one of the world's leading human capital solutions and services provider, offering services in various domains of talent acquisition and management. The group is active in the fields of Temporary and Permanent Staffing, Site Managed Services, Search & Selection, Domestic & International Recruitment, Recruitment Process Optimization (RPO), Executive Search, and HR Consulting & Training. We have direct and indirect presence and strategic partnerships in about 57 countries across Europe, Asia, America, and Africa. Gi Group has developed strong expertise through its specialist divisions and dedicated local and international teams.

Gi Group has been present in India for the last two decades, helping clients implement highly crucial projects by hiring and managing great talent. In India Gi Group actively works with customers across the country through a network of offices in 10 major cities. We help organizations achieve accelerated growth by helping them acquire the right kind of talent and providing them with a continuum of staffing solutions, from short-term to long-term and incidental to strategic, for organizations of all sizes and across multiple locations.

Our list of clients ranges from global Fortune 500 companies to large Indian Companies and New Economy Startups. We service our customers through a combination of technology and an extremely agile and responsive team of recruiters and process specialists, thus enabling our clients to focus on business performance and productivity. Ranked globally and in India as one of the largest staffing firms by Staffing Industry Analysts, Gi Group is also a global corporate member of the World Employment Confederation (formerly CIETT).

In India, Gi Group is one of the founding members of the Indian Staffing Federation (ISF). Gi Group is also a long-term strategic member of the National HRD Network.

MINIMUM WAGES REVISIONS

Maharashtra Bengal Minimum Wages Revision

The Government of Maharashtra vide Notification No. Sr.Gr.V.K.V.A/V.V.June//2026(1)/Action-10/543-55078-79 has revised VDA with effective from 1st January 2026 to 30th June'26 and accordingly there is revision in minimum wages. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Maharashtra						
Effective Date: 01/01/2026						
Nature of Employment: Shops & Establishment						
Class of Employment	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	HRA Per Month (5% of Basic +VDA)	Total Per Day	Total Per Month (Basic + VDA+ HRA)
Unskilled	I	10021	3900	696	562.19	14617
	II	9425	3900	666	538.13	13991
	III	8828	3900	636	514.02	13364
Semi-Skilled	I	10856	3900	738	595.92	15494
	II	10260	3900	708	571.85	14868
	III	9664	3900	678	547.78	14242
Skilled	I	11632	3900	777	627.25	16309
	II	11036	3900	747	603.18	15683
	III	10440	3900	717	579.12	15057

Assam Minimum Wages Revision

The Government of Assam vide Notification No. E-238621/700 has revised VDA with effective from 1st June 2025 and accordingly there is revision in minimum wages. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Assam			
Effective Date: 01/06/2025			
Category: 98 Scheduled Employments			
Class of Employment	Basic	VDA	Total Minimum Wages
Unskilled	7200	3154.03	10354
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	8400	3636.5	12037
Skilled/clerical	10500	4546.6	15047
Highly Skilled	13500	5844.9	19345

Tamil Nadu Minimum Wages Revision

The Government of Tamil Nadu vide No. Z3/3459/2026, has revised DA with effective from 1st April 2026 and accordingly there is revision in minimum wages. Please refer to the table below for the revised minimum wages and notification appended herewith for more details:

State: Tamil Nadu								
Effective Date: 01/04/2026								
Category: Shops & Commercial Establishment								
S. No.	Class of Employees (General Categories)	Category	Zone-A			Zone-B		
			Basic	VDA	Total	Basic	VDA	Total
1	Manager, Sales Manager, Field Officer, Development Officer, Office In- Charge	Highly-Skilled	7390	7353	14743	7328	7353	14681
2	Assistant Manager, Accountant, Supervisor, Sales Executive, Purchaser, Storekeeper, Agent, Sales Promotion Employees	Skilled	6880	7353	14233	6815	7353	14168
3	Cashier, Clerk, Typist Cum Clerk, Typist, Stenographer, Salesman, Sales Representative, Auction Bidder, Tradesman, Bill Writer	Semi-Skilled-I	6829	7353	14182	6753	7353	14106
4	Bill Collector, Booking Clerk, Bill Clerk, Godown Keeper, Assistant Salesman, Godown In-Charge, Accounts Assistant, Receptionist, Lineman, Tally Clerk, Security Guard, Weighman, Driver	Semi-Skilled-II	6767	7353	14120	6691	7353	14044
5	Peon, Watchman, Shop Assistant, Helper, Packer, Attender, Delivery Boy, Messenger, Lift Operator, Shop Boy, Water Boy, Sweeper, Gardner, Scavenger	Unskilled	6691	7353	14044	6619	7353	13972

NOTIFICATIONS/ CIRCULARS/ AMENDMENTS



Notification of the Maharashtra State on Profession, Trades, Callings and Employment (Amendment) Rules, 2026

The Government of Maharashtra Vide Notification No. 2026/C.R.4/Taxation-3, has amended the Maharashtra State on Profession, Trades, Callings and Employment (Amendment) Rules, 2026. Below is the crux of the said amendment.

- a) Every registered employer whose tax liability during the previous year or a part thereof was less than Rs. 50,000, shall furnish an annual return on or before the **15th of March**, of the year to which the return relates.
- b) Every registered employer whose tax liability during the previous year or a part thereof was Rs. 50,000 or more, shall furnish monthly return on or before the **15th of March**, of the month to which the return relates.

Please refer to the notification for more details.

The Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025

The Government of Himachal Pradesh Vide No. L.L.R-D (6)-30/2025-LG, has released Notification of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025. Below is the crux of the said amendment.

Amendment of Section 7(2) - On occasion of seasonal or exceptional pressure of work, a person employed in an establishment may be employed about the business of the establishment in excess of the working hours specified in sub-section (1):

(a) The total number of overtime hours worked by an employee does not exceed **one hundred and forty-four** within a period of any one quarter.

Amendment of Section 13 - the employer of every establishment "**employing ten or more employees**" shall send to the prescribed authority a statement in the prescribed form

Please refer to the notification for more details.

Regarding payment of arrears of revised minimum wage rates from 01.04.2024 under the Minimum Wages Act, 1948 in Madhya Pradesh

The Government of Madhya Pradesh Vide No.227/Off Name/Enforcement(2024/4359-429), has released regarding payment of arrears of revised minimum wage rates from 01.04.2024 under the Minimum Wages Act, 1948. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Notification regarding opening of shops and establishment 24x7 under Uttarakhand Shops and Establishment Act, 2017

The Government of Uttarakhand Vide Notification No. s/VIII-1/26-32(Labour)/2016-TC, has released Notification regarding opening of Shops and Establishments 24x7 under Uttarakhand Shops and Establishment Act, 2017. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Disclaimer: All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. Gi Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

Contact Information:

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- marcom.india@gigroup.com, Website: www.gigroup.co.in

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh – 201301

कामगार आयुक्त यांचे कार्यालय,
"कामगार भवन" ई-ब्लॉक, सी-२०,
वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पु),
मुंबई - ४०० ०५१.

दिनांक - ०४/१०/२०२६

क्र.प्रा.वि./क.व.अ/वि.भ.जाने-जून/२०२६(१)/कायो-२०/५४३-५५० किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत खालील अनुसूचित उद्योगातील कामगारांकरिता मूळ किमान वेतन + विशेष भत्त्याची रक्कम = एकूण किमान वेतन
७४-७९ दि. ०१.०१.२०२६ ते दि. ३०.०६.२०२६ या कालावधीकरिता जाहीर करण्यात येत आहे.

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगाराची वर्गवारी	परिमंडळानिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																	
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३											
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन									
३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०			
१	मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायवादीच्या आस्थापनातील अधिवक्ते किंवा न्यायवादी यांचा अपिसंध सौख्या व जिची व्यवसायाच्या संबंधित आस्थापनेतील कामगार	१ कुशल				१६,६२०	३,१३५	१९,७५५	१५,७८०	३,१३५	१८,९१५									
		२ अर्धकुशल				१५,१५०	३,१३५	१८,२८५	१४,३१०	३,१३५	१७,४४५									
		३ अकुशल				१४,०९५	३,१३५	१७,२३०	१३,२५५	३,१३५	१६,३९०									
२	मॉटर दुकली कार्यशाळा उद्योग	१ कुशल				५,५००	८,८३१	१४,३३१	५,२००	८,८३१	१४,०३१	४,९००	८,८३१	१३,७३१						
		२ अर्धकुशल				५,९००	८,८३१	१३,७३१	४,८००	८,८३१	१३,६३१	४,५००	८,८३१	१३,३३१						
		३ अकुशल				४,८००	८,८३१	१३,६३१	४,५००	८,८३१	१३,३३१	४,२००	८,८३१	१३,०३१						
३	वेकरी उद्योग	१ कुशल				१०,९००	५,८२४	१५,७२४	९,७५०	५,८२४	१५,५७४	९,३५०	५,८२४	१५,१७४						
		२ अर्धकुशल				९,२००	५,८२४	१५,०२४	८,८००	५,८२४	१४,६२४	८,४५०	५,८२४	१४,२७४						
		३ अकुशल				८,२५०	५,८२४	१४,०७४	७,९००	५,८२४	१३,७२४	७,५००	५,८२४	१३,३२४						
४	कापूस पिजणे व दाबणे उद्योग	१ कुशल				१६,०८०	६२५	१६,७०५	१५,५०५	६२५	१६,१३०	१४,८६०	६२५	१५,४८५						
		२ अर्धकुशल				१४,५३०	६२५	१५,१५५	१३,९६०	६२५	१४,५८५	१३,३०५	६२५	१३,९३०						
		३ अकुशल				१२,९८०	६२५	१३,६०५	१२,४१०	६२५	१३,०३५	१२,७५५	६२५	१२,३८०						
५	कापड रंगवणे, छपाई उद्योग	१ कुशल				४,९००	८,५६८	१३,४६८	४,६००	८,५६८	१३,१६८									
		२ अर्धकुशल				४,४००	८,५६८	१२,९६८	४,१००	८,५६८	१२,६६८									
		३ अकुशल				४,१००	८,५६८	१२,६६८	३,८००	८,५६८	१२,३६८									

54

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगांचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)															
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३									
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन							
६	काजू प्रक्रिया उद्योग	१ गट-१ (सुपरवायझर, टेकलेखक, लिपिक, रोज़पाळ, भोंडारपाल, वाहनचालक)	७,५००	५,७३६	१३,२३६													
		२ गट-२(अ) (ग्रेडर, रोस्टर, ड्रायर)	७,०००	५,७३६	१२,७३६													
		३ गट-२(ब) (सेलर, मिलर)	१७	५,७३६	५,७५३													
		४ गट-३ (हेल्पर, वॉचमन व तत्सम कामगार)	६,५००	५,७३६	१२,२३६													
७	कागदी, गवती पुट्ट्यापधुन खांदी तयार करणारा उद्योग	१ कुशल	१४,०००	५७५	१४,५७५	१३,२२५	५७५	१३,८००	१२,४९०	५७५	१३,०६५							
		२ अर्धकुशल	१३,२२५	५७५	१३,८००	१२,४९०	५७५	१३,०६५	१२,७५५	५७५	१२,३३०							
		३ अकुशल	१२,४९०	५७५	१३,०६५	११,७५५	५७५	१२,३३०	१०,९८०	५७५	११,५५५							
८	रासायनिक खते बनविणारा उद्योग	१ कुशल	१७,९८५	६७५	१७,६६०	१६,५६०	६७५	१७,२३५	१५,९४०	६७५	१६,६१५							
		२ अर्धकुशल	१५,६५०	६७५	१६,३२५	१५,०२५	६७५	१५,७००	१४,४००	६७५	१५,०७५							
		३ अकुशल	१४,९०५	६७५	१४,७८०	१३,४८०	६७५	१४,१५५	१२,९००	६७५	१३,५७५							
९	कॅन्टीन आणि क्लब उद्योग	१ कुशल	७,७००	७,९२४	१५,६२४	७,४००	७,९२४	१५,३२४	७,२००	७,९२४	१५,१२४							
		२ अर्धकुशल	७,०००	७,९२४	१४,९२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४	६,५००	७,९२४	१४,४२४							
		३ अकुशल	६,५००	७,९२४	१४,४२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४	६,०००	७,९२४	१३,९२४							

५५

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)															
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३									
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन							
१०	सिमेंट व सिमेंटवर आधारित उद्योग	१ कुशल	३,७१०	७,३३९	११,०४९	३,४१०	७,३३९	१०,७४९	३,११०	७,३३९	१०,४४९							
		२ अर्धकुशल	३,६१०	७,३३९	१०,९४९	३,३१०	७,३३९	१०,६४९	३,०१०	७,३३९	१०,३४९							
		३ अकुशल	३,५१०	७,३३९	१०,८४९	३,२१०	७,३३९	१०,५४९	२,९१०	७,३३९	१०,२४९							
११	रत्ने तयार करणे, देखरेख करणे, बांधकाम उद्योग	१ कुशल	२१,८६०	२,८२९	२४,६८९	२०,९९०	२,८२९	२३,८१९	२०,१२५	२,८२९	२२,९५४							
		२ अर्धकुशल	२०,३४५	२,८२९	२३,१७४	१९,४७५	२,८२९	२२,३०४	१८,६१०	२,८२९	२१,४३९							
		३ अकुशल	१९,२६५	२,८२९	२२,०९४	१८,४००	२,८२९	२१,२२९	१७,५३०	२,८२९	२०,३५९							
अ.क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)															
१२	चित्रपट प्रदर्शनाचा उद्योग		माल्टीफ्लेक्स			परिमंडळ १			परिमंडळ २			दुसिंग टॉकिज						
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन				
			१ कुशल	५,५००	७,७०८	१३,२०८	५,०००	७,७०८	१२,७०८	४,५००	७,७०८	१२,२०८	४,०००	७,७०८	११,७०८			
२ अर्धकुशल	५,०००	७,७०८	१२,७०८	४,५००	७,७०८	१२,२०८	४,०००	७,७०८	११,७०८	३,५००	७,७०८	११,२०८						
३ अकुशल	४,५००	७,७०८	१२,२०८	४,०००	७,७०८	११,७०८	३,५००	७,७०८	११,२०८	३,०००	७,७०८	१०,७०८						
१३	सायकल यांत्रिकी कार्यशाळेतील कामधंदा	१ कुशल	१६,२३५	६२५	१६,८६०	१४,७०५	६२५	१५,३३०			-							
		२ अर्धकुशल	१४,७०५	६२५	१५,३३०	१३,२६०	६२५	१३,८८५			-							
		३ अकुशल	१३,२६०	६२५	१३,८८५	११,८१५	६२५	१२,४४०			-							

54

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगों के नाम	कारखानों की वर्गबंदी	परिमंडल निहाय किमान मूठ वेतन दर (दरमहा रूपये)								
			परिमंडल १			परिमंडल २			परिमंडल ३		
			किमान मूठ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्ता की रकम (प्रती महीना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूठ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्ता की रकम (प्रती महीना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूठ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्ता की रकम (प्रती महीना)	एकूण किमान वेतन
१४	दवाखाना उद्योग	१ कुराल	९,०००	८,२०७	१७,२०७	८,७००	८,२०७	१६,९०७	८,०००	८,२०७	१६,२०७
		२ अर्धकुराल	८,८००	८,२०७	१७,००७	८,३००	८,२०७	१६,५०७	७,८००	८,२०७	१६,००७
		३ अकुराल	८,५००	८,२०७	१६,७०७	८,०००	८,२०७	१६,२०७	७,५००	८,२०७	१५,७०७
१५	औषधी द्रव्य व औषध बनविणारा उद्योग	१ कुराल	१६,६०५	२,५११	१९,११६	१६,०००	२,५११	१८,५११	१५,५१०	२,५११	१८,१०१
		२ अर्धकुराल	१५,१८५	२,५११	१७,६९६	१४,५८०	२,५११	१७,०९१	१४,१७०	२,५११	१६,६८१
		३ अकुराल	१४,१७०	२,५११	१६,६८१	१३,५६५	२,५११	१६,०७६	१३,१५५	२,५११	१५,६६६
१६	दुग्धालय (डेअरी) उद्योग	१ कुराल	१७,५२०	६७५	१८,१९५	१६,७२०	६७५	१७,३९५	१५,९२०	६७५	१६,५९५
		२ अर्धकुराल	१५,९२०	६७५	१६,५९५	१४,९५५	६७५	१५,६३०	१४,३३०	६७५	१५,००५
		३ अकुराल	१४,३३०	६७५	१५,००५	१३,५३०	६७५	१४,२०५	१२,७३०	६७५	१३,४०५
१७	लिखाणाच्या यंत्रा बनविणारा उद्योग	१ कुराल	६,०००	६,२२६	१२,२२६	५,६००	६,२२६	११,८२६	५,२००	६,२२६	११,४२६
		२ अर्धकुराल	५,८००	६,२२६	१२,०२६	५,४००	६,२२६	११,६२६	५,०००	६,२२६	११,२२६
		३ अकुराल	५,६००	६,२२६	११,८२६	५,२००	६,२२६	११,४२६	४,८००	६,२२६	११,०२६
१८	खाण्याचा तंबाखू उद्योग	१ कुराल	३,७००	७,३४४	११,०४४						
		२ अर्धकुराल	३,२००	७,३४४	१०,५४४						
		३ अकुराल	३,०००	७,३४४	१०,३४४						
१९	अभियांत्रिकी उद्योग	१ कुराल	१६,४५०	२,५११	१८,९६१	१६,०४५	२,५११	१८,५५६	१५,२२५	२,५११	१७,७३६
		२ अर्धकुराल	१५,०२५	२,५११	१७,५३६	१४,६२०	२,५११	१७,१३१	१३,८०५	२,५११	१६,३१६
		३ अकुराल	१४,०१०	२,५११	१६,५२१	१३,६०५	२,५११	१६,११६	१२,७९५	२,५११	१५,३०६
२०	कारखाने अधिनियम, १९४८ च्या कलम २ घोट कलम (एम) या व्याख्येतील कारखाने	१ कुराल	१२,६०५	३,३७५	१५,९८०	११,७७०	३,३७५	१५,१४५	११,२५५	३,३७५	१४,६३०
		२ अर्धकुराल	११,४४५	३,३७५	१४,८२०	१०,८००	३,३७५	१४,१७५	१०,१६०	३,३७५	१३,५३५
		३ अकुराल	१०,३५०	३,३७५	१३,७२५	९,७०५	३,३७५	१३,०८०	९,०००	३,३७५	१२,३७५

SIL

क्र. सं.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																		
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३												
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन										
२१	शाईपेन व बॉलपेन बनविणारा उद्योग	१ कुशल	५,३००	९,३०९	१४,६०९	५,२००	९,३०९	१४,५०९													
		२ अर्धकुशल	५,०५०	९,३०९	१४,३५९	४,८५०	९,३०९	१४,१५९													
		३ अकुशल	४,८००	९,३०९	१४,१०९	४,६००	९,३०९	१३,९०९													
२२	चित्रपट निर्मिती उद्योग	१ कुशल	१६,६७५	७२५	१७,४००	१७,०५५	७२५	१७,७८०													
		२ अर्धकुशल	१६,०६५	७२५	१६,७९०	१५,४४५	७२५	१६,१७०													
		३ अकुशल	१४,५५५	७२५	१५,२८०	१३,९२५	७२५	१४,६५०													
२३	काच बत्ख बनविणारा उद्योग	१ कुशल	७,८००	७,९२४	१५,७२४	७,६००	७,९२४	१५,५२४	७,२००	७,९२४	१५,१२४										
		२ अर्धकुशल	७,१००	७,९२४	१५,०२४	६,९००	७,९२४	१४,८२४	६,५००	७,९२४	१४,४२४										
		३ अकुशल	६,६००	७,९२४	१४,५२४	६,४००	७,९२४	१४,३२४	६,०००	७,९२४	१३,९२४										
२४	काच उद्योग	१ कुशल	७,७००	७,९२४	१५,६२४	७,४००	७,९२४	१५,३२४	७,२००	७,९२४	१५,१२४										
		२ अर्धकुशल	७,०००	७,९२४	१४,९२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४	६,५००	७,९२४	१४,४२४										
		३ अकुशल	६,५००	७,९२४	१४,४२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४	६,०००	७,९२४	१३,९२४										
२५	गिवासी हॉटेल व उपहारगृह उद्योग	१ कुशल	७,७००	७,९२४	१५,६२४	७,४००	७,९२४	१५,३२४	७,२००	७,९२४	१५,१२४										
		२ अर्धकुशल	७,०००	७,९२४	१४,९२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४	६,५००	७,९२४	१४,४२४										
		३ अकुशल	६,५००	७,९२४	१४,४२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४	६,०००	७,९२४	१३,९२४										
२६	केरा कर्तनालय उद्योग	१ कुशल	७,७००	७,९२४	१५,६२४	७,४००	७,९२४	१५,३२४	६,९००	७,९२४	१४,८२४										
		२ अर्धकुशल	७,०००	७,९२४	१४,९२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४										
		३ अकुशल	६,५००	७,९२४	१४,४२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४	५,७००	७,९२४	१३,६२४										
२७	रूग्णालय उद्योग	१ कुशल	१८,०६५	७५०	१८,८१५	१७,४६०	७५०	१८,२१०	१६,८५०	७५०	१७,६००										
		२ अर्धकुशल	१६,५९५	७५०	१७,३४५	१५,९८५	७५०	१६,७३५	१५,४७५	७५०	१६,२२५										
		३ अकुशल	१५,४७५	७५०	१६,२२५	१४,८६५	७५०	१५,६१५	१४,२६०	७५०	१५,०१०										

SK

परिमंडलनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडलनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																	
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३											
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन									
२६	बर्फ व शिंतपेच बनविणारा उद्योग	१ कुशल	६,०००	७,८३०	१३,८३०	५,७००	७,८३०	१३,५३०												
		२ अर्धकुशल	५,५००	७,८३०	१३,३३०	५,२००	७,८३०	१३,०३०												
		३ अकुशल	५,०००	७,८३०	१२,८३०	४,७००	७,८३०	१२,५३०												
२७	मद्य उत्पादनातील सेवणार	१ कुशल	९,९१०	६,३७०	१६,२८०	९,९१०	६,३७०	१६,५६०	८,४७०	६,३७०	१४,८४०									
		२ अर्धकुशल	९,६७०	६,३७०	१६,०४०	८,९५०	६,३७०	१५,३२०	८,२२५	६,३७०	१४,५९५									
		३ अकुशल	९,४३०	६,३७०	१५,८००	८,७१०	६,३७०	१५,०८०	७,९१०	६,३७०	१४,३६०									
३०	सांबीकाम उद्योग	१ कुशल	७,७००	७,९२४	१५,६२४	७,४००	७,९२४	१५,३२४	७,२००	७,९२४	१५,१२४									
		२ अर्धकुशल	७,०००	७,९२४	१४,९२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४	६,५००	७,९२४	१४,४२४									
		३ अकुशल	६,५००	७,९२४	१४,४२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४	६,०००	७,९२४	१३,९२४									
३१	चष्मा चौकटी बनविणारा उद्योग	१ कुशल	१६,६६०	६७५	१७,३३५	१६,०६५	६७५	१६,७४०	१५,४७०	६७५	१६,१४५									
		२ अर्धकुशल	१५,२१५	६७५	१५,८९०	१४,७०५	६७५	१५,३८०	१४,११०	६७५	१४,७८५									
		३ अकुशल	१३,८५५	६७५	१४,५३०	१३,२६०	६७५	१३,९३५	१२,७५०	६७५	१३,४२५									
३२	तेल गिरणी उद्योग	१ कुशल	१०,३५०	६,२७२	१६,६२२	९,८००	६,२७२	१६,०७२												
		२ अर्धकुशल	९,४००	६,२७२	१५,६७२	८,८५०	६,२७२	१५,१२२												
		३ अकुशल	८,५००	६,२७२	१४,७७२	७,९५०	६,२७२	१४,२२२												
३३	कागद व कागदी पत्रा बनविणारा उद्योग	१ कुशल	१६,७४०	६७५	१७,४१५	१६,१३५	६७५	१६,८१०	१५,६१०	६७५	१६,२८५									
		२ अर्धकुशल	१५,३५५	६७५	१६,०३०	१४,८३५	६७५	१५,५१०	१४,२२५	६७५	१४,९००									
		३ अकुशल	१३,९७०	६७५	१४,६४५	१३,४४०	६७५	१४,११५	१२,९२०	६७५	१३,५९५									
३४	धनास्तिक उद्योग	१ कुशल	१५,८१०	६५०	१६,४६०	१५,३००	६५०	१५,९५०	१४,८७५	६५०	१५,५२५									
		२ अर्धकुशल	१४,३६५	६५०	१५,०१५	१३,९४०	६५०	१४,५९०	१३,५२५	६५०	१४,१७५									
		३ अकुशल	१३,००५	६५०	१३,६५५	१२,५८०	६५०	१३,२३०	१२,१५५	६५०	१२,८०५									

SK

क्र. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे मात	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)														
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३								
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन						
३५	पेट व यानिहा बनाविगारा उद्योग	१ कुशल	८,२००	७,९२४	१६,१२४	७,८००	७,९२४	१५,७२४	७,४००	७,९२४	१५,३२४						
		२ अर्धकुशल	७,५००	७,९२४	१५,४२४	७,१००	७,९२४	१५,०२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४						
		३ अकुशल	७,०००	७,९२४	१४,९२४	६,६००	७,९२४	१४,५२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४						
३६	पाई, चुरमुरे व कुरमुरे बनाविगारा उद्योग	१ कुशल	१४,४५०	६२५	१५,०७५	१३,७७०	६२५	१४,३९५									
		२ अर्धकुशल	१३,९४०	६२५	१४,५६५	१३,२६०	६२५	१३,८८५									
		३ अकुशल	१२,४९५	६२५	१३,१२०	१२,८१५	६२५	१२,४४०									
३७	घंत्रमाग उद्योग	१ कुशल	१०,१००	७,२२१	१७,३२१	९,५००	७,२२१	१६,७२१	८,५००	७,२२१	१५,७२१						
		२ अर्धकुशल	९,५००	७,२२१	१६,७२१	९,०००	७,२२१	१६,२२१	८,०००	७,२२१	१५,२२१						
		३ अकुशल	९,०००	७,२२१	१६,२२१	८,५००	७,२२१	१५,७२१	७,५००	७,२२१	१४,७२१						
३८	गूढण उद्योग	१ कुशल	४,६००	७,३३९	११,९३९	४,३००	७,३३९	११,६३९	३,७००	७,३३९	११,०३९						
		२ अर्धकुशल	४,५००	७,३३९	११,८३९	४,२००	७,३३९	११,५३९	३,६००	७,३३९	१०,९३९						
		३ अकुशल	४,४००	७,३३९	११,७३९	४,१००	७,३३९	११,४३९	३,५००	७,३३९	१०,८३९						
३९	सांवेजनिक मोटार वाहन उद्योग	१ कुशल अ (मल्टीअॅक्सल वाहनधारक, व्यवस्थापक, पध्दवेक्षक)	१९,६२५	७२५	२०,३५०	१८,९७५	७२५	१९,७००			-						
		२ कुशल घ (इतर वाहनधारक)	१८,९७५	७२५	१९,७००	१८,३२०	७२५	१९,०४५			-						
		३ कुशल क (वाहक, लिफिक)	१८,३२०	७२५	१९,०४५	१७,५७०	७२५	१८,२९५			-						
		४ अर्धकुशल (सर्व सहायक)	१५,८९०	७२५	१६,६१५	१५,२४०	७२५	१५,९६५			-						
		५ अकुशल (सप्तमीस, किल्लर)	१४,४९०	७२५	१५,२१५	१३,८३५	७२५	१४,५६०			-						

SIC

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगांचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूल वेतन दर (राज्यशास्त्रानुसार)								
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३		
			किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन
४०	तयार कपडे बनविणारा उद्योग	१ कुशल	८,६००	८,२०७	१६,८०७	८,४००	८,२०७	१६,६०७	७,६००	८,२०७	१६,००७
		२ अर्धकुशल	७,९००	८,२०७	१६,१०७	७,७००	८,२०७	१५,९०७	७,१००	८,२०७	१५,३०७
		३ अकुशल	७,४००	८,२०७	१५,६०७	७,२००	८,२०७	१५,४०७	६,६००	८,२०७	१४,८०७
४१	खर उद्योग	१ कुशल	१९,०९०	७७५	१९,८६५	१८,३४५	७७५	१९,१२०	१७,८५०	७७५	१८,६२५
		२ अर्धकुशल	१७,३५५	७७५	१८,१३०	१६,९१५	७७५	१६,६९०	१६,९१५	७७५	१६,६९०
		३ अकुशल	१६,१२०	७७५	१६,८९५	१५,३७५	७७५	१६,१५०	१४,६८०	७७५	१५,६५५
४२	भात, पीठ व डाळ गिरणीतील उद्योग	१ कुशल	१५,५८०	६५०	१६,२३०	१४,९९०	६५०	१५,६४०			
		२ अर्धकुशल	१३,८५०	६५०	१४,५००	१३,१८५	६५०	१३,८३५			
		३ अकुशल	१२,८६०	६५०	१३,५१०	१२,२००	६५०	१२,८५०			
४३	खरो कुंगे बनविणारा उद्योग	१ कुशल	१४,१९०	६२५	१४,८१५	१३,७७०	६२५	१४,३९५	१३,४३०	६२५	१४,०५५
		२ अर्धकुशल	१३,४३०	६२५	१४,०५५	१२,५७०	६२५	१३,१९५	१२,४१०	६२५	१३,०३५
		३ अकुशल	१२,४१०	६२५	१३,०३५	१२,१५५	६२५	१२,७८०	११,८१५	६२५	१२,४४०
४४	पालादी सामान बनविणारा उद्योग	१ कुशल	७,८००	७,९२४	१५,७२४	७,६००	७,९२४	१५,५२४	७,२००	७,९२४	१५,१२४
		२ अर्धकुशल	७,१००	७,९२४	१५,०२४	६,९००	७,९२४	१४,८२४	६,५००	७,९२४	१४,४२४
		३ अकुशल	६,८००	७,९२४	१४,७२४	६,४००	७,९२४	१४,३२४	६,०००	७,९२४	१३,९२४
४५	सिग्नर उद्योग	१ कुशल	६,३००	६,९९७	१३,२९७						
		२ अर्धकुशल	५,८००	६,९९७	१२,७९७						
		३ अकुशल	५,३००	६,९९७	१२,२९७						
४६	दगड फोडणे व खडी करणे उद्योग	१ कुशल	९,५००	५,५१२	१५,०१२	९,१००	५,५१२	१४,६१२			
		२ अर्धकुशल	८,५००	५,५१२	१४,०१२	८,१००	५,५१२	१३,६१२			
		३ अकुशल	८,०००	५,५१२	१३,५१२	७,६००	५,५१२	१३,११२			

SIL

अ. क्र.	अनुसूचित जात/जाति का नाम	कामगारों की वर्गबारी	परिमंडल/निहाय किमान मूल वेतन दर (वर्षाहा रूपये)								
			परिमंडल १			परिमंडल २			परिमंडल ३		
			किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्ता/प्रति महिला	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्ता/प्रति महिला	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्ता/प्रति महिला	एकूण किमान वेतन
४७	सौंदर्य प्रसाधन व सजावट बनविणारा उद्योग	१ कुशल	७,७००	७,९२४	१५,६२४	७,४००	७,९२४	१५,३२४	७,१००	७,९२४	१५,०२४
		२ अर्धकुशल	७,०००	७,९२४	१४,९२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४	६,४००	७,९२४	१४,३२४
		३ अकुशल	६,५००	७,९२४	१४,४२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४	५,९००	७,९२४	१३,८२४
४८	दुकाने व व्यापारी आस्थापना उद्योग	१ कुशल	११,६३२	३,९००	१५,५३२	११,०३६	३,९००	१४,९३६	१०,४४०	३,९००	१४,३४०
		२ अर्धकुशल	१०,८५६	३,९००	१४,७५६	१०,२६०	३,९००	१४,१६०	९,६६४	३,९००	१३,५६४
		३ अकुशल	१०,०२१	३,९००	१३,९२१	९,४२५	३,९००	१३,३२५	८,८२८	३,९००	१२,७२८
४९	सफाईगार व मेहतर कामगार	१ पूर्णकालिक सफाईगार किंवा मेहतर, तत्काम कामगार	१०,०००	७,२०८	१७,२०८	९,७५०	७,२०८	१६,९५८	९,४५०	७,२०८	१६,६५८
		२ वरतून ४ तास काम करणारे अर्धकालिक सफाईगार किंवा मेहतर	पूर्णकालिक सफाईगारांसाठी किंवा मेहतरांसाठी निश्चित केलेल्या एकूण वित्तव्याख्या (मूल वेतन व विशेष भत्ता/प्रति महिला) ६० टक्के (१००००+७२०८ = १७२०८) (१७२०८ × ६०% = १०३२४.८) (१०,३२५)								
५०	लाफ्ट फटाई उद्योग	१ कुशल	९,४५०	५,४०६	१४,८५६	९,१००	५,४०६	१४,५०६	८,७५०	५,४०६	१४,१५६
		२ अर्धकुशल	८,६५०	५,४०६	१४,०५६	८,३००	५,४०६	१३,७०६	७,९५०	५,४०६	१३,३५६
		३ अकुशल	७,८००	५,४०६	१३,२०६	७,५००	५,४०६	१२,९०६	७,१५०	५,४०६	१२,५५६
५१	कातडी कामावणे व धामहवाच्या वस्तू तयार करणे	१ कुशल	९,०००	६,४५३	१५,४५३	८,५००	६,४५३	१४,९५३	८,०००	६,४५३	१४,४५३
		२ अर्धकुशल	८,५००	६,४५३	१४,९५३	८,०००	६,४५३	१४,४५३	७,५००	६,४५३	१३,९५३
		३ अकुशल	८,०००	६,४५३	१४,४५३	७,५००	६,४५३	१३,९५३	७,०००	६,४५३	१३,४५३
५२	धातूचा भांडी बनविणारा उद्योग	१ कुशल	९,२००	९,०५६	१८,२५६	९,०००	९,०५६	१८,०५६	८,५००	९,०५६	१७,५५६
		२ अर्धकुशल	८,५००	९,०५६	१७,५५६	८,३००	९,०५६	१७,३५६	७,८००	९,०५६	१६,८५६
		३ अकुशल	८,०००	९,०५६	१७,०५६	७,८००	९,०५६	१६,८५६	७,३००	९,०५६	१६,३५६

54

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																		
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३												
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन										
५३	लाकडी फोटी चोकट बनविणारा उद्योग	१ कुशल	७,७००	७,९२४	१५,६२४	७,४००	७,९२४	१५,३२४	७,२००	७,९२४	१५,१२४										
		२ अर्धकुशल	७,०००	७,९२४	१४,९२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४	६,५००	७,९२४	१४,४२४										
		३ अकुशल	६,५००	७,९२४	१४,४२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४	६,०००	७,९२४	१३,९२४										
५४	लाकडी फर्निचर बनविणारा उद्योग	१ कुशल	७,६००	७,९२४	१५,५२४	७,४००	७,९२४	१४,३२४	७,२००	७,९२४	१५,१२४										
		२ अर्धकुशल	६,९००	७,९२४	१४,८२४	६,७००	७,९२४	१४,६२४	६,५००	७,९२४	१४,४२४										
		३ अकुशल	६,४००	७,९२४	१४,३२४	६,२००	७,९२४	१४,१२४	६,०००	७,९२४	१३,९२४										
५५	पट्टाकाराचे घट्टे बनविणारा उद्योग	१ कुशल	१८,५६५	७५०	१९,३१५	१७,६०५	७५०	१८,३५५	१६,५५०	७५०	१७,३००										
		२ अर्धकुशल	१७,२५५	७५०	१८,००५	१६,२०५	७५०	१६,९५५	१५,२४५	७५०	१५,९९५										
		३ अकुशल	१६,२०५	७५०	१६,९५५	१५,२४५	७५०	१५,९९५	१४,९९०	७५०	१५,७४०										
५६	हातमाग उद्योग	१ कुशल	७,०००	५,४९७	१२,४९७	६,०००	५,४९७	११,४९७	६,५००	५,४९७	१२,९९७										
		२ अर्धकुशल	६,५००	५,४९७	११,९९७	५,५००	५,४९७	११,९९७	६,०००	५,४९७	११,४९७										
		३ अकुशल	६,०००	५,४९७	११,४९७	५,०००	५,४९७	११,४९७	५,५००	५,४९७	११,९९७										
५७	मातीची भांडी बनविणारा उद्योग	१ कुशल	८,०००	५,४९७	१३,४९७	७,५००	५,४९७	१२,९९७	७,०००	५,४९७	१२,४९७										
		२ अर्धकुशल	७,५००	५,४९७	१२,९९७	७,०००	५,४९७	१२,४९७	६,५००	५,४९७	११,९९७										
		३ अकुशल	७,०००	५,४९७	१२,४९७	६,५००	५,४९७	११,९९७	६,०००	५,४९७	११,४९७										
अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																		
५८	वन व वनशास्त्र विषयक संजघार		अतिदुर्गम क्षेत्र			उत्तर क्षेत्र															
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन													
			१ कुशल	१६,३८०	७००	१७,०८०	१५,१३०	७००	१५,८३०												
२ अर्धकुशल	१५,४००	७००	१६,१००	१३,९७५	७००	१४,६७५															
३ अकुशल	१४,४२०	७००	१५,१२०	१२,९९५	७००	१३,६९५															

Su

सूचित उद्योगचे नाव

कामगारांची वर्गवारी

परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (बरमहा रूपये)

परिमंडळ १

परिमंडळ २

किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)

विशेष भत्याची रक्कम (प्राती महिना)

एकूण किमान वेतन

किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)

विशेष भत्याची रक्कम (प्राती महिना)

एकूण किमान वेतन

५९ चांदी उद्योग

१ कुशल

१६,५७०

६७५

१७,२४५

१५,६१०

६७५

१६,२८५

२ अर्धकुशल

१५,००५

६७५

१५,६८०

१४,४००

६७५

१५,०७५

३ अकुशल

१३,५३५

६७५

१४,२१०

१२,९२०

६७५

१३,५९५

६० तंबाखू (विडी) उद्योग

१ एक हजार विड्या वळणारे सर्व कर्मचारी (विड्यासाठी घाने तोडणारे मजूर यांच्यासह) स्पष्टीकरण - सर्व परिमंडळात विड्याची घाने मालकांकडून पुरविण्यात येतील.

११०

४३८९ प्रतिमाह
१६९ प्रतिदिन

११२

४३८९ प्रतिमाह
१६९ प्रतिदिन

२ एक हजार पुडक्यांना (बंडले) वेचून लावणे, लेबल लावणे आणि पुडकी बांधणे या कामांमध्ये असलेले सर्व कर्मचारी -

(एक) एक लेबल लावून किंवा आवेष्टन न करता फक्त दोन लेबले लावून पुडकी तयार करण्यात येत असतील.

११६

४३८९ प्रतिमाह
१६९ प्रतिदिन

११२

४३८९ प्रतिमाह
१६९ प्रतिदिन

(दोन) दोन लेबले लावून पुडकी तयार करण्यात येत असतील

२०३

४३८९ प्रतिमाह
१६९ प्रतिदिन

११२

४३८९ प्रतिमाह
१६९ प्रतिदिन

स्पष्टीकरण - या वरील प्रयोजनार्थ -

(एक) पुडक्यामध्ये अंतर्भूत असलेल्या विड्यांची संख्या विचारात न घेता पुडक्याची मोजणी करण्यात येईल.

(दोन) लेबल म्हणजे चौकोनी लेबल, गोल टिकली (गोल लेबल) किंवा खडी पट्टी किंवा त्यासारखी लेबल.

३ पोती भरण्याच्या कामात समाविष्ट असलेले सर्व कर्मचारी म्हणजेच पोती भरणे, शिबणे, धूपी लावणे किंवा तंबाखू निर्माण करायला तत्सम काम करणारे कामगार प्रत्येक पोत्याचे वजन ५० किलोपर्यंत असले अशा बाबतीत.

१५

४३८९ प्रतिमाह
१६९ प्रतिदिन

४,४०४

१४

४३८९ प्रतिमाह
१६९ प्रतिदिन

४,४०३

४ (एक) त्राईनात्र

(एक)

५,६००

४,३८९

९,९८९

५,९८०

४,३८९

९,५६९

(दोन) विडी निवडणारा कर्मचारी

५,६००

४,३८९

९,९८९

५,९८०

४,३८९

९,५६९

(तीन) विडी तपासणीस व विडी मोजणारा

५,६००

४,३८९

९,९८९

५,९८०

४,३८९

९,५६९

50

क्र. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दा (दरमहा रुपये)																		
			परिमंडळ १			परिमंडळ २															
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन													
६०	तंबाखू (बिडी) उद्योग	(घार) तंबाखू मिश्रण करणारा																			
			५,६००	४,३८९	९,९८९	५,१८०	४,३८९	९,५६९													
		(पाघ) बिडी पाने किंवा तंबाखू यांचे किंवा दोन्हीचे वितरक																			
			५,६००	४,३८९	९,९८९	५,१८०	४,३८९	९,५६९													
		(सात) उपरोक्त प्रक्रियेत उल्लेख नसलेले इतर सर्व कामगारी																			
			५,६००	४,३८९	९,९८९	५,१८०	४,३८९	९,५६९													
		(सात) भट्टीवाल																			
			५६००			५३२०															
			+३४७ =	४,३८९	१०,३३६	+२९८ =	४,३८९	१०,००७													
			५९४७			५६१८															
		(आठ) मुदगी किंवा प्लाक केड व्यवस्थापक																			
			५,८८०	४,३८९	१०,२६९	५,७४०	४,३८९	१०,१२९													
		(नऊ) लेखापाल- (आयकर किंवा इतर कर यांच्या प्रयोजनांसाठी सापराववाच्या लेखांचे सर्व लेख ठेवण)																			
			८,१२०	४,३८९	१२,५०९	७,९८०	४,३८९	१२,३६९													
(दहा) ट्रक किंवा लॉरी ड्रायव्हर अधिक दोन्हावर असताना ८०.५ कि.मी. पेक्षा जास्त प्रवास असले तेव्हा दैनिक भत्ता म्हणून (प्रतिदिन रु. ११९ देय)																					
	८१२०	४,३८९	१२,५०९	७९८०	४,३८९	१२,३६९															
	+११९			+११९																	
(अकरा) मांठार चालक (कार किंवा स्टेशन वर्गन, जोष, टेम्पो, मॅटॅडोर) दोन्हावर असताना ८०.५ कि.मी. पेक्षा जास्त प्रवास असले तेव्हा दैनिक भत्ता म्हणून (प्रतिदिन रु. ११९ देय)																					
	७०००	४,३८९	११,३८९	६७२०	४,३८९	११,१०९															
	+११९			+११९																	

SIC

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																				
			परिमंडळ १			परिमंडळ २																	
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भरवाची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भरवाची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन															
६०	तेवाखू (बिडी) उद्योग	(चार) टुक कित्या लॉरी पांचा स्वच्छक (क्लोअर) दोन्यावर असताना ८०.५ कि.मी. पेक्षा जास्त प्रवास असेल तेजा दैनिक भत्ता म्हणून (परिमंडळ -२ करिता प्रतिदिन रु. ८० व परिमंडळ -१ करिता रु. ७८ देव)	(एक)	५०४०	४,३८९	९,४२९	४९९०	४,३८९	९,३७९														
				+८०				+७८															
			(तेरा) पद्दतरेकरी किंवा चौकोदार, शिपाई																				
			(एक)	५,४६०	४,३८९	९,८४९	५,३२०	४,३८९	९,७०९														
			५	तपकोर उद्योग आम्ब्यापनत पुढील कामे हाताने करणारे सर्व कामगारी-																			
			(एक) तपकोर पुढांमर्ये भरणा																				
			(दोन) तेवाखू मिस्टर	(एक)	३,०२०	४,३८९	७,४०९	५,६००	४,३८९	९,९८९													
			(तीन) तेवाखू दळण	(एक)	७,२८०	४,३८९	११,६६९	६,५८०	४,३८९	१०,९६९													
				(एक)	७,२४०	४,३८९	११,६२९	७,०००	४,३८९	११,३८९													
			६	सर्व अकुशल कामगार (कोणत्याही नावाने संबोधण्यात येत असलेले)																			
	(एक)	५,३२०	४,३८९	९,७०९	४,९९०	४,३८९	९,३७९													११			

५१

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडलनिहाय किमान मूल वेतन दर (दरमहा रूपये)													
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३							
			किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन					
६१	स्थानिक स्वतःचालित संस्था अ) ग्रामपंचायत	१ कुशल	१४,१२५	३,७५१	१७,८७६	१३,७६०	३,७५१	१७,५११	१२,६६५	३,७५१	१६,४१६					
		२ अर्धकुशल	१३,४२०	३,७५१	१७,१७१	१३,०५५	३,७५१	१६,८०६	११,९६०	३,७५१	१५,७११					
		३ अकुशल	१३,०८५	३,७५१	१६,८३६	१२,७१५	३,७५१	१६,४६६	११,६२५	३,७५१	१५,३७६					
	ब) ग्रामपंचायत वगळून	१ कुशल	१४,०००	९,४८५	२३,४८५	१२,०००	९,४८५	२१,४८५	११,०००	९,४८५	२०,४८५					
		२ अर्धकुशल	१३,०००	९,४८५	२२,४८५	११,०००	९,४८५	२०,४८५	१०,०००	९,४८५	१९,४८५					
		३ अकुशल	११,५००	९,४८५	२०,९८५	१०,०००	९,४८५	१९,४८५	८,५००	९,४८५	१७,९८५					
६२	रंग व रसायने बनविणारा उद्योग	१ कुशल	८,२००	६,०४९	१४,२४९	७,५००	६,०४९	१३,५४९	६,५००	६,०४९	१२,५४९					
		२ अर्धकुशल	७,७००	६,०४९	१३,७४९	७,०००	६,०४९	१३,०४९	६,०००	६,०४९	१२,०४९					
		३ अकुशल	७,२००	६,०४९	१३,२४९	६,५००	६,०४९	१२,५४९	५,५००	६,०४९	११,५४९				१४	

SK

क्र. क्र.	अनुसूचित वर्गोंगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूल वेतन दर (दरमहा रूपये)												
			परिमंडळ १			परिमंडळ २									
			किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूल वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन							
६३	विटा व कोले वनविणवाच्या कारखान्यातील कामधंद्या		विटा विभाग												
		१	विटा तयार करणारे कामगार												
			१" x ४" x ३"	६९०	६,२१४		६३५	६,२१४							
			१" x ४" x ६"	१,३८०	६,२१४		१,२७०	६,२१४							
		२	विटा वाहणारे कामगार												
			१" x ४" x ३"	१७५	६,२१४		१६०	६,२१४							
			१" x ४" x ६"	३००	६,२१४		२८०	६,२१४							
		३	खवस्त्यापक/मुकादम/पर्यवेक्षक/लेखापाल	८,४००	६,२१४	१४,६१४	८,२००	६,२१४	१४,४१४						
		४	भटकर (भट्टी लावणारे)	७,९५०	६,२१४	१४,१६४	७,७५०	६,२१४	१३,९६४						
		५	कोयलावाला (कोळसा फोडणारे)	७,५००	६,२१४	१३,७१४	७,२५०	६,२१४	१३,४६४						
			कोले विभाग												
		१	कुशल	८,५००	६,२१४	१४,७१४	८,०००	६,२१४	१४,२१४						
		२	अर्धकुशल	८,०००	६,२१४	१४,२१४	७,५००	६,२१४	१३,७१४						
		३	अकुशल	७,५००	६,२१४	१३,७१४	७,०००	६,२१४	१३,२१४						१५

SIX

अ. क्र.	अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)								
			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३		
			किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन
६४	भुशो किवा गाई किवा दोन्ही जेथे बूध काढण्यासाठी, स्वच्छ करण्यासाठी, चारा घालण्यासाठी आणि इतर सर्व अनुषंगिक प्रक्रियासाठी ठेवण्यात येतात, अशा कोणत्याही जागेतील कामधंदा (तयेलर)	१ कुशल	९,४००	५,९७५	१५,३७५	८,६००	५,९७५	१४,५७५	७,८००	५,९७५	१३,७७५
		२ अर्धकुशल	८,७००	५,९७५	१४,६७५	८,०००	५,९७५	१३,९७५	७,२००	५,९७५	१३,१७५
		३ अकुशल	८,०००	५,९७५	१३,९७५	७,३००	५,९७५	१३,२७५	६,७००	५,९७५	१२,६७५
६५	मिठागरातील कामधंदा	१ अतिकुशल	१४,९१५	६२५	१५,५४०						
		२ कुशल	१३,७००	६२५	१४,३२५						
		३ अर्धकुशल	१२,८१०	६२५	१३,४३५						
		४ अकुशल	११,९२०	६२५	१२,५४५						

SK

अनुसूचित उद्योगाचे नाव	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																	
		संस्थात्मक श्रेणी			परिमंडळ १			परिमंडळ २			परिमंडळ ३			परिमंडळ ४					
		किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन	किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)	विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रती महिना)	एकूण किमान वेतन			
६६ शेनकी कामगार	अ) ब गटात नवूद रोजगारात काम करणारे कामगार वगडून इतर कामगारांसाठी	१	रोजंदार	१८०	१६५	३४५	१८०	१६५	३४५	१७०	१६५	३३५	१६०	१६५	३२५	१५५	१६५	३२०	
		२	महिनेदार	४,६८०	४,२८५	८,९६५	४,६८०	४,२८५	८,९६५	४,४२०	४,२८५	८,७०५	४,१६०	४,२८५	८,४४५	४,०३०	४,२८५	८,३१५	
		३	सालदार किंवा मासिक	लागू नाही			५६,१६०	५१,४२०	१,०७,५८०	५३,०४०	५१,४२०	१,०४,४६०	४९,९२०	५१,४२०	१,०१,३४०	४८,३६०	५१,४२०	९९,७८०	
	ब) तेल, चाफ किंवा विजेवर चालणाऱ्या यंत्रावर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी	१	रोजंदार	२४०	१६५	४०५	२४०	१६५	४०५	२३०	१६५	३९५	२२५	१६५	३९०	२२०	१६५	३८५	
		२	महिनेदार	६,२४०	४,२८५	१०,५२५	६,२४०	४,२८५	१०,५२५	५,९८०	४,२८५	१०,२६५	५,८५०	४,२८५	१०,१३५	५,७२०	४,२८५	१०,००५	
		३	सालदार किंवा मासिक	लागू नाही			७४,८८०	५१,४२०	१,२६,३००	७१,७६०	५१,४२०	१,२३,१८०	७०,२००	५१,४२०	१,२१,६२०	६८,९४०	५१,४२०	१,२०,०६०	
	६७ कार साफ करणे उद्योग	कामगारांची वर्गवारी	परिमंडळनिहाय किमान मूळ वेतन दर (दरमहा रूपये)																
परिमंडळ १																			
किमान मूळ वेतन दर (Basic Rate)			विशेष भत्त्याची रक्कम (प्रति दिन)	एकूण किमान वेतन (प्रति दिन)															
१			मुकासम	२४०	१६७	४०७													
२			अकुशल	२१०	१६७	३७७													
३	घार ताम किंवा घार तासापयंत अर्धवेळ काम करणारे अकुशल कामगार																		
४	पूर्ण वेळ अकुशल कामगारांसाठी निश्चित केलेल्या वेतनाच्या ६० टक्के (२१० × ६०% = १२६ + ६०% = १०० + २६ = १२६)																		
		१२६	१००	२२६															

विशेष भत्त्याची रक्कम सर्व परिमंडळांकरिता प्रत्येक अनुसूचित उद्योगासमर दर्शविल्यात आली आहे.

टिप :- कुशल वर्गवारीमध्ये अतिकुशल वर्गवारीचा सुद्धा समावेश केला आहे.

Sanket
05-01-2022

(स. म. कामरे)

कामगार उप आयुक्त (शा.वि.), मुंबई

व सहाय्य शासिका

किमान वेतन अधिनियम, १९४८

GOVERNMENT OF ASSAM
LABOUR WELFARE DEPARTMENT : : RESEARCH CELL
JANATA BHAWAN: DISPUR : GUWAHATI - 6

ORDER BY THE GOVERNOR
NOTIFICATION

No.E-238621/700 : In continuation to previous Notification No.E-238621/696, dated 14 June 2025, the rates of VDA payable to the employees in the following scheduled employments are fixed on the basis of 100% rise on average all India General Consumer Price Index for Industrial Workers. (base 2016=100).

And whereas the average CPI of the period December 2024 to May 2025 has risen by 0.8 points i.e, 0.14 % over the average CPI of the period June, 2024 to November, 2024.

Now, it is hereby notified that the following VDA shall be payable to the employees / workers as specified in Schedule given below w.e.f. **01-06-2025**.

TABLE

Employment in Bakery, Breweries & Distillery, Black Smith, Biscuit Manufacturing, Film (Production, Distribution & Exhibition) Industry, Carpentry & Masonry, Canteen & Clubs, Co-Operative Consumers Societies, Cleaners, Coaching Academics Including Nursing & English Medium Schools & Technical Institutes, Earth Cutting, Earth Removing, Earth Filling & Earth Levelling Operation, Fruit Preservation, Gold Smith, Hair Cutting Saloon, Grass Cutting & Wood Cutting, L.P.Gas Distribution, Oil & Gas Drilling Workers, Premises wherein Cows & Buffaloes or both are kept for milking, feeding & All Other Similar Processes, Printing & Dying Clothes, Pathological Laboratories, Private Transport, Petrol Pump Workers, Private Hospitals, Readymade Garments, Shops, Commercial Establishment covered by the Schedule, Shop & Commercial Establishments, Eating House & Restaurants, Small Selling Cooked Food Staff, Transportation, Marketing & Distribution of Petroleum Products, Tailoring Industries, Theatres, Tube-Well Sinking Workers, Helpers & Welders (Minor Engineering), Edible Oil Workers, Hotel, Restaurants & Eating Houses Covered by the Scheduled Employments (Shops & Commercial Establishment, Eating Houses & Restaurants)

Employment in Bakery, Agarbatti, Asbestos Cement Factories, Aluminium Industries, Agar Wood Industries, Beverages Manufactories & Vending Establishment, Beedi Making, Brick Making & Brick Kiln, Bought Tea Leaf Factory, Cotton Textile Mills, Cement Based Industry, Chakki Mills, Chemical & Pharmaceutical Industries, Candle Manufacturing, Coffee & Rubber Plantations, Engineering Industry Including Motor Garages, Flour Mills, Food Processing, Gold & Silver Ornaments & Other Articles of Artistic Design Manufacturing, Pan Masala & Gutkha Manufacturing Industries, Handicrafts, Ice Cream &

Ice-Candy Manufacturing & Vending Establishment, Ice Factory & Cold Storage, Jute Bailing Industries, Jute Mills, Match Manufacturing, Metal Rolling, Re-Rolling Industry (Ferrous & Non-Ferrous), Motor Body Building, Plywood Industries, Paper Industries, Pottery Industries, Photo & Picture Frame Manufacturing, Poultry & Cattle Feed Manufacturing, Rubber Processing & Rubber Manufacturing, Rice & Oil Mills, Saw Mills Soap Making Industries, Sugar Industries, Trunk & Bucket Manufacturing, Tiles Manufacturing, Tanneries & Leather Manufacturing

Employment in Agriculture, Contractors Estt. of the Forest Department, Co-Operative Marketing Societies, Co-Operative Bank (Other than Co-Operative Central Bank & Apex), Construction or Maintenance of (1) Roads or Building Operation & (2) Stone Breaking & Stone Crushing, Dispensaries, Employees in Electricity Board, Fishing, Casual / Muster Roll Workers in Flood Control Department, Forestry & Timbering Operation, Hydro Electric Project, Handloom Weaving Estt., Horticulture Operation, Casual / Muster Roll Workers in Irrigation Department, Khadi & Village Industry, Municipalities & Town Committees, Public Motor Transport including ASTC, Printing Press, Casual / Muster Roll Workers Employed in Public Health Department, Poultry & Dairy Farm, Steamerghat, Small Scale Industries, Seasonal Spray Squads of NMEP under H&FW Deptt., Sericulture Operation

Category of Employees / Workers	Wage per day	Wages per month	Previous VDAs cumulated	New VDA per month	Total Wages per month
Unskilled workers	Rs.240/-	Rs.7200/-	Rs. 3143.95	Rs. 10.08	Rs. 10354
Semi Skilled/ unskilled Supervisory	Rs.280/-	Rs.8400/-	Rs. 3624.75	Rs. 11.76	Rs. 12037
Skilled Workers /Clerical Workers	Rs.350/-	Rs.10500/-	Rs. 4531.89	Rs. 14.70	Rs. 15047
Highly skilled Workers	Rs.450/-	Rs.13500/-	Rs. 5826.03	Rs. 18.90	Rs. 19345

**Digitally signed by
GYANENDRA DEV TRIPATHI
Date: 12-02-2026 17:37:21**

Principal Secretary to the Govt. of Assam
Labour Welfare Department

Memo No.E-238621/ 700 -A, 12-02-2026

Copy to :-

1. The PPS to the Hon'ble Chief Minister, Assam, Dispur, Guwahati- 6 for kind appraisal of the Hon'ble Chief Minister.
2. Secretary Coordination, O/o Chief Secretary, Assam, Dispur, Guwahati- 6 for kind appraisal of the Chief Secretary.
3. The P.S. to Principal Secretary, Labour and Welfare Department, Dispur, Guwahati- 6
4. The Labour Commissioner, Assam, Shram Bhawan, Guwahati- 7 for n/a.
5. The Deputy Director and Publisher Assam Govt. Press, Bamunimaidan, Guwahati- 21 with a request to publish the notification in the Extraordinary issue of Assam Gazette and to send 100 spare copies thereof to this Department urgently.
6. All ALCs / LOs / LIs concerned.
-
7. The Director of Information & Public Relation, Assam, Dispur, Last Gate, Guwahati- 6 with a requested to publish the notification as News Item in the local Daily Newspapers.
8. The Workers' / Employers' Associations for information.

By order etc,

Digitally signed by
ASHRAFUL AMIN

Joint Secretary to the Govt. of Assam,
Labour Welfare Department

Date: 13-02-2026
16:05:47

STATEMENT SHOWING DETAILS OF DEARNESS ALLOWANCE PAYABLE WITH EFFECT FROM 01/04/2026
BASED ON THE AVERAGE CONSUMER PRICE INDEX OF CHENNAI CITY FOR THE CALENDAR YEAR 2025
IN RESPECT OF VARIOUS SCHEDULED EMPLOYMENTS NOTIFIED UNDER THE MINIMUM WAGES ACT 1948.

AVERAGE POINTS FOR CHENNAI CITY FOR THE CALENDAR YEAR 2025:

BASE YEAR 2001=100 : 344 Points
 BASE YEAR 1982=100 : 1703 Points
 BASE YEAR 1960=100 : 8600 Points

Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour Welfare and Skill Development Department. G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base Index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
01	EMPLOYMENT IN AERATED WATER MANUFACTORY	(2D) No.75, dated 10/09/2024	02/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 38.45 per point per month	₹ 7,036.00 p/m
02	EMPLOYMENT IN AGARBATHY MANUFACTORY	(2D) No.91, dated 31/10/2022	23/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 35.43 per point per month	₹ 6,484.00 p/m
03	EMPLOYMENT IN APPALAM MANUFACTORY	(2D) No.51, dated 10/06/2022.	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.65 per point per month	₹ 8,171.00 p/m
04	EMPLOYMENT IN AUTOMOBILE WORKSHOP	(2D) No.98, dated 09/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 56.29 per point per month	₹ 10,301.00 p/m
05	EMPLOYMENT IN AUTO RICKSHAW & TAXIS	(2D) No.114 dated 13/12/2022	04/01/2023	161 / 2010 (2001=100)	₹ 71.40 per point per month	₹ 13,066.00 p/m
06	EMPLOYMENT IN BAKERIES AND BISCUITS MANUFACTORY	(2D) No.35, dated 03/06/2022	29/06/2022	161/2010 (2001=100)	₹ 1.40 per point per day	₹ 256.20 p/d
07	EMPLOYMENT IN BLEACHING OR DYEING OR BOTH	(2D) No. 90, dated 31/10/2022	23/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 39.65 per point per month	₹ 7,256.00 p/m
08	EMPLOYMENT IN BRICKS AND TILES MANUFACTORY	(2D) No.50, dated 10/ 06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 237.90 p/d

09	EMPLOYMENT IN CARPENTRY & BLACKSMITHY	(2D) No. 24, dated 07/ 06/ 2021	07/07/ 2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 58.65 per point per month	₹ 10,733.00 p/m
10	EMPLOYMENT IN CHEMICAL FERTILIZER INDUSTRY	(2D) No.43 dated 10/06/2022	06/07/2022	151 / 2010 (2001=100)	₹ 43.40 per point per month	₹ 7,942.00 p/m
11	EMPLOYMENT IN CHEMICAL INDUSTRY	(2D) No.87 dated 21/11/2019	11/12/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 50.00 per point per month	₹ 9,150.00 p/m
12	EMPLOYMENT IN CINEMA INDUSTRY	(2D) No.97, dated 07/11/2022	30/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 61.65 per point per month	₹ 11,282.00 p/m
13	EMPLOYMENT IN COACHING ACADEMICS	(2D) No.87 dated 01/10/2024	30/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 40.50 per point per month	₹ 7,412.00 p/m
14	EMPLOYMENT IN COCONUT PEELING	(2D) No. 45 dated 10/ 06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.45 per point per day	₹ 265.35 p/d
15	EMPLOYMENT IN COFFEE CURING WORKS	(2D) No.41, dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 237.90 p/d
16	EMPLOYMENT IN COIR MANUFACTORY	(2D) No .35, dated 23/07/2021	18/08/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 36.85 per point per month	₹ 6,744.00 p/m
17	EMPLOYMENT IN CONSTRUCTION, MAINTENANCE OF ROADS OR IN BUILDING OPERATIONS	(2D) No.94 dated 07/11/2022	07/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.69 per point per day	₹ 492.30 p/d
18	EMPLOYMENT IN CONSTRUCTION OF PANDALS,	(2D) No.31 dated 30/05/2022	22/06/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.25 per point per day	₹ 228.75 p/d
19	EMPLOYMENT IN COOKING FOOD	(2D) No.78 dated 19.09.2024	09/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 60.95 per point per month	₹ 11,154.00 p/m
20	EMPLOYMENT IN COTTON GINNING, PRESSING AND EMPLOYMENT IN COTTON WASTE	(2D) No. 39, dated 10/ 06/ 2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.65 per point per month	₹ 8,171.00 p/m
21	EMPLOYMENT IN DISTILLERY INDUSTRY	(2D) No.42 dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 60.35 per point per month	₹ 11,044.00 p/m
22	EMPLOYMENT IN DISTRIBUTION OF LIQUID PETROLEUM GAS CYLINDERS	(2D) No. 88 dated 01/10/2024	30/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 39.60 per point per month	₹ 7,247.00 p/m
23	EMPLOYMENT IN DOMESTIC WORK	(2D) No.99 dated 08/11/2022	07/12/2022	248 / 2015 (2001=100)	₹ 32.25 per point per month	₹ 3,096.00 p/m
24	EMPLOYMENT IN ELECTRONIC INDUSTRY	(2D) No. 44, dated 10/ 06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 43.50 per point per month	₹ 7,961.00 p/m
25	EMPLOYMENT IN FOLDING TEXTILES	(2D) No.33 dated 22/07/2021	18/08/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 37.70 per point per month	₹ 6,899.00 p/m

26	EMPLOYMENT IN FOOD PROCESSING INDUSTRY	(2D) No. 73, dated 10/09/2024	02/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.65 per point per month	₹ 8,171.00 p/m
27	EMPLOYMENT IN FORESTRY	(2D) No.92 dated 31/10/2022	25/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.92 per point per day	₹ 351.35 p/d
28	EMPLOYMENT IN GENERAL ENGINEERING AND FABRICATION INDUSTRY	(2D) No. 67, dated 13/11/2017	03/01/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 42.35 per point per month	₹ 7,750.00 p/m
29	EMPLOYMENT IN GOLD AND SILVER ARTICLES MANUFACTORY	(2D) No. 100 dated 08/11/2022	21/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.36 per point per day	₹ 431.90 p/d
30	EMPLOYMENT IN GRANITE INDUSTRY	(2D) No. 103, dated 09/11/2022	07/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 62.40 per point per month	₹ 11,419.00 p/m
31	EMPLOYMENT IN GUNNY INDUSTRY	(2D) No. 22, dated 07/06/2021	07/07/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.07 per point per day	₹ 378.80 p/d
32	EMPLOYMENT IN HAND EMBROIDERY AND JARI	(2D) No.99 dated 09/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.27 per point per day	₹ 415.40 p/d
33	EMPLOYMENT IN HANDLOOM SILK WEAVING INDUSTRY	(2D) No. 106, dated 16/12/2024	29/01/2025	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.44 paise per point per day	₹ 263.50 p/d
34	EMPLOYMENT IN HOME TEXTILES (i.e.) BEDROOM, BATHROOM, LIVING ROOM, DECORATIVE, KITCHEN TEXTILES	(2D) No. 46, dated 23/11/2021	08/12/2021	255 / 2016 (2001=100)	₹ 22.25 per point per month	₹ 1,980.00 p/m
35	EMPLOYMENT IN HOSIERY MANUFACTORY AND KNITWEAR MANUFACTORY	*(2D) No.02 Dated 18/02/2025	12/03/2025	196 / 2012 (2001=100)	₹ 23.19 per point per month	₹ 3432.00 p/m
36	EMPLOYMENT IN HOSPITALS AND NURSING HOMES	(2D)No. 21, dated 26/05/2025	11/06/2025	218 / 2013 (2001=100)	₹ 44 per point per month	₹ 5,544.00 p/m
37	EMPLOYMENT IN HOTELS AND RESTAURANTS	(2D) No. 35, dated 08/07/2014	13/08/2014	161 / 2010 (2001=100)	₹ 46.26 per point per month	₹ 8,466.00 p/m
38	EMPLOYMENT IN KNITTING INDUSTRY	(2D) No. 06 dated 27/01/2016	17/02/2016	475 / 2000 (1982=100)	₹ 3.80 per point per month	₹ 4,666.00 p/m
39	EMPLOYMENT IN LAUNDRIES AND WASHING CLOTHES (INCLUDING WOOLLEN)	(2D) No.105 dated 09/11/2022	07/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.55 per point per day	₹ 466.65 p/d
40	EMPLOYMENT IN LOADING & UNLOADING OPERATIONS IN MARKETS, SHANDIES (Fairs and Market Places and other like places)	(2D) No.85, dated 01/10/2024	30/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.50 per point per day	₹ 274.50 p/d

41	EMPLOYMENT IN LOCAL AUTHORITY	** (2D) No.62 dated 11/10/2017	22/11/2017	161 / 2010 (2001=100)	₹ 37.25 per point per month	₹ 6,817.00 p/m
42	EMPLOYMENT IN MAT WEAVING AND BASKET MAKING	(2D) No.36 dated 10/06/2023	05/07/2023	161 / 2010 (2001=100)	₹ 31 per point per month	₹ 5,673.00 p/m
43	EMPLOYMENT IN (a) FIRE WORKS MANUFACTORY	(2D) No.80 dated 19/09/2024	23/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹1.46 per point per day	₹ 267.20 p/d
	(b) MATCH MANUFACTORY	(2D) No. 46, dated 10/07/2023	26/07/2023	161/2010 (2001=100)	₹ 33.90 per point per month	₹ 6,204.00 p/m
44	EMPLOYMENT IN MEDICAL AND SALES REPRESENTATIVE	(2D) No. 45, dated 10/07/2023	26/07/2023	161/ 2010 (2001=100)	₹ 30.67 per point per month	₹ 5,613.00 p/m
45	EMPLOYMENT IN MEDICINE MANUFACTURING INDUSTRY	(2D) No.11 dated 15/02/2016	09/03/2016	161 / 2010 (2001=100)	₹ 43.55 per point per month	₹ 7,970.00 p/m
46	EMPLOYMENT IN MOTION PICTURE INDUSTRY (Including Production, Distribution and Publicity)	(2D) No.38 dated 05/10/2016	23/11/2016	161/2010 (2001=100)	₹ 43.85 per point per month	₹ 8,025.00 p/m
47	EMPLOYMENT IN MUSHROOM GROWING AND ALLIED WORKS	(2D) No.79 dated 19/09/2024	23/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 52.40 per point per month	₹ 9,589.00 p/m
48	EMPLOYMENT IN NEERA TAPPING	(2D) No.49, dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 40.80 per point per month	₹ 7,466.00 p/m
49	EMPLOYMENT IN ANY OIL MILL	(2D) No.74, dated 10/09/2024	02/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 3.04 per point per day	₹ 556.30 p/d
50	EMPLOYMENT IN PAPER AND INCIDENTAL PROCESSES CONNECTED WITH:-	(2D) No.76, dated 10/09/2024	02/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.40 per point per month	₹ 8,125.00 p/m
	(a) HAND MADE PAPER INDUSTRY	(2D) No. 44, dated 07/11/2025	26/11/2025	161 / 2010 (2001=100)	₹ 43.00 per point per month	₹ 7,869.00 p/m
	(b) MACHINE MADE PAPER INDUSTRY	(2D) No. 77, dated 19/09/2024	23/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 44.95 per point per month	₹ 8,226.00 p/m
51	EMPLOYMENT IN POLYTHENE MANUFACTORY AND PROCESSING FOAM ITEMS AND PLASTIC MANUFACTORY	(2D) No.40 dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 45.00 per point per month	₹ 8,235.00 p/m
52	EMPLOYMENT IN POTTERY WORKS	(2D) No. 34, dated 22/07/2021	18/08/2021	161 / 2010 (2001=100)	₹ 40.00 per point per month	₹ 7,320.00 p/m

53	EMPLOYMENT IN POWER LOOM INDUSTRY	(2D) No 113 dated 13/12/2022	04/01/2023	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.05 per point per day	₹ 375.15 p/d
54	EMPLOYMENT IN PRINTING PRESSES	(2D) No 48 dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 34.75 per point per month	₹ 6,359.00 p/m
55	EMPLOYMENT IN PUBLIC MOTOR TRANSPORT	(2D) No 01 dated 02/01/2023	25/01/2023	161 / 2010 (2001=100)	₹ 65.65 per point per month	₹12,014.00 p/m
56	EMPLOYMENT IN RICE MILLS, FLOUR MILLS AND DHALL MILLS	(2D) No. 46, dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.60 per point per day	₹ 292.80 p/d
57	EMPLOYMENT IN SAGO INDUSTRY	(2D) No. 101 dated 09/11/2022	14/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 49.20 per point per month	₹ 9,004.00 p/m
58	EMPLOYMENT IN SALT PANS	(2D) No.41 dated 30/09/2025	22/10/2025	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.73 per point per day	₹ 316.60 p/d
59	EMPLOYMENT IN SEA FOOD PROCESSING INDUSTRY	(2D) No.93 dated 01/11/2022	23/11/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 38.19 per point per month	₹ 6,989.00 p/m
60	EMPLOYMENT IN SECURITY GUARDS	(2D) No. 81, dated 19/09/2024	23/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 56.00 per point per month	₹10,248.00 p/m
61	EMPLOYMENT IN SERICULTURE	(2D) No.95 dated 07/11/2022	14/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.88 per point per day	₹ 344.05 p/d
62	EMPLOYMENT IN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS	(2D) No.65, dated 20/08/2024	11/09/2024	161/2010 (2001=100)	₹ 40.18 per point per month	₹ 7,353.00 p/m
63	EMPLOYMENT IN SILK TWISTING INDUSTRY	(2D) No.96 dated 07/11/2022	14/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.66 per point per day	₹ 340.40 p/d
64	EMPLOYMENT IN SOAP MANUFACTORY	(2D) No 104 dated 09/11/2022	07/12/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 65.65 per point per month	₹12,014.00 p/m
65	EMPLOYMENT IN SYNTHETIC GEM CUTTING INDUSTRY	(2D) No. 101 dated 18/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 237.90 p/d
66	EMPLOYMENT IN TAILORING INDUSRTY	(2D) No. 29, dated 31/05/2024	31/05/2024	218 / 2013 (2001=100)	₹ 33.94 per point per month	₹ 4,276.00 p/m
67	APPRENTICES IN THE EMPLOYMENT IN TEXTILE MILLS	(2D) No 43 dated 19/04/2018	16/05/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.60 per point per day	₹ 292.80 p/d
68	EMPLOYMENT IN TIMBER INDUSTRY	(2D) No.100 dated 10/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.43 per point per day	₹ 444.70 p/d
69	EMPLOYMENT IN TIN CONTAINER MANUFACTORY	(2D) No. 86 Dated 01/10/2024	30/10/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 46.39 per point per month	₹ 8,489.00 p/m

70 EMPLOYMENT IN TOBACCO MANUFACTORY.-						
	(a) (BEEDI ROLLING) MANUFACTORY IN THE EMPLOYMENT IN ANY TOBACCO (INCLUDING BEEDI MAKING MANUFACTORY)	(2D) No. 43, dated 07/11/2025	26/11/2025	3384/2008 (1960=100)	₹ 3 paise per point per 1000 beedies	₹ 156.48 1000 beedies
	(b) TOBACCO MANUFACTORY (INCLUDING BEEDI MAKING OTHER THAN BEEDI ROLLING)	(2D) No. 60, dated 08/07/2022	03/08/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 42.90 per point per month	₹ 7,851.00 p/m
	(c) SCENTED AND CHEWING TOBACCO *	(2D) No. 09, dated 21/02/2013	20/03/2013	475 / 2000 (1982 = 100)	₹ 16 paise per point per day	₹ 196.50 p/d
* Ban of Manufacture, Storage, Transport, Distribution or Sale of Chewable Food products, Gutkha, Panmasala, Containing Tobacco and Nicotine ingredients in the state of Tamil Nadu for a period of one year from 23.05.2025 under Food Safety and Drug Administration order has been published in the Tamil Nadu Government Gazette Extra ordinary No. 230, dated.23.05.2025						
	(d) SNUFF INDUSTRY	(2D) No. 97, dated 09/10/2024	06/11/2024	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.40 per point per day	₹ 256.20 p/d
71	EMPLOYMENT IN VESSEL (UTENSILS) MANUFACTORY	(2D) No. 47, dated 10/06/2022	06/07/2022	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 237.90 p/d
72	EMPLOYMENT IN WOOLLEN CARPET AND SHAWL WEAVING INDUSTRY	(D) No. 344, dated 10/04/1992	20/05/1992	808 / 1988 (1960=100)	₹ 2 paise per point per day	₹ 155.84 p/d

Note: D.A. shall be revised as and when the Government notifies the revision of minimum wages.

*Tanneries & Leather AICP = 176

(i)	Employment in any Plantation, that is to say, any estate which is maintained for the purpose of growing cinchona, rubber, tea, coffee or cardamom.	-	The Dearness Allowance shall be calculated every three months.
(ii)	Employment in Cashew nut industry	-	The Dearness Allowance shall be calculated every six months
(iii)	Employment in Leather goods manufactory	-	The Dearness Allowance shall be calculated every month
(iv)	Employment in Footwear Making Industry	-	The Dearness Allowance shall be calculated every month

[Signature]
18/12/2026
for COMMISSIONER OF LABOUR

[Signature]
18/02/26

Points for calculating dearness allowance for different base periods (For guidance only)

Calendar year	2025						
Base year in respect of a particular scheduled industry	2001=100				1982=100	1960=100	
Average point for calendar year 2025	344				1703	8600	
Base year for VDA regarding different scheduled industries	161/2010	218/2013	248/2015	255/2016	475/2000	3384/2008	808/1988
Increase in points for calculating VDA for different Scheduled Industries	183	126	96	89	1228	5216	7792



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष १२, अंक २८]

शनिवार, फेब्रुवारी २८, २०२६/फाल्गुन ९, शके १९४७

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक ९१

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

वित्त विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२६.

अधिसूचना

महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५.

क्रमांक व्यकर-२०२६/प्र.क्र.४/कराधान-३.— ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम, १९७५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ (१९७५ चा महा. १६) च्या कलम २७ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही ;

म्हणून, आता, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १९७५ मधील कलम २७ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकासह पोट-कलमे (१) आणि (२) च्या शक्तींचा वापर करून तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, याद्वारे महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम, १९७५ मध्ये, खालील सुधारणा करित आहे, म्हणजेच :—

- या नियमांना महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर (सुधारणा) नियम, २०२६ असे संबोधण्यात येईल.
- महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम, १९७५ च्या नियम ११ मधील, उप-नियम (३) मध्ये,
 - खंड (अ) मध्ये, “३१ मार्च” या अंक आणि शब्दा ऐवजी “१५ मार्च” हे अंक आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ;
 - खंड (क) मध्ये, “शेवटचा दिनांक” या शब्दा ऐवजी “१५ वा दिवस” हे अंक आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ;

(१)

३. उदाहरणामध्ये :—

- (१) अंक व शब्द “३१ मे” याऐवजी अंक व शब्द “१५ मे” असे बदलण्यात येतील ;
- (२) अंक व शब्द “३० जून” याऐवजी अंक व शब्द “१५ जून” असे बदलण्यात येतील ;

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

संजय कंधारे,
शासनाचे उप सचिव.

FINANCE DEPARTMENT

Mantralaya, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk,
Mumbai 400 032, Dated the 28th February, 2026.

NOTIFICATION

MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975.

No.व्यकर-2026/C.R.4/Taxation-3.— Whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Rules, 1975 and to dispense with the condition of previous publication thereof under the proviso to sub-section (3) of section 27 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 (Mah. XVI of 1975).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) read with the proviso to sub-section (3) of section 27 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975, and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby, makes the following rules further to amend the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Rules, 1975, namely :—

1. These rules may be called the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Amendment) Rules, 2026.
2. In rule 11 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Rules, 1975, in sub-rule (3),-
 - (1) in clause (a), for the figures and words “31st of March” the figures and words “15th of March” shall be substituted ;
 - (2) in clause (c), for the words “last date” the figures and words “15th day” shall be substituted ;
3. in the Illustration,—
 - (a) for the figures and words “31st of May” the figures and words “15th of May” shall be substituted ;
 - (b) for the figures and words “30th June” the figures and words “15th of June” shall be substituted ;

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SANJAY KANDHARE,
Deputy Secretary to Government.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 11 फरवरी, 2026

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-30/2025-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को दिनांक 09-02-2026 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2026 के अधिनियम संख्यांक 3 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित /—
(डॉ० विवेक ज्योति),
संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

2026 का अधिनियम संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन), अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 7 का संशोधन।
3. धारा 13 का संशोधन।

2026 का अधिनियम संख्यांक 3.

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 9 फरवरी, 2026 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (1970 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :-

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन), अधिनियम, 2025 है।

2. **धारा 7 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 की उप-धारा (2) के परन्तुक (क) में, "पचास" शब्द के स्थान पर "एक सौ चवालीस" शब्द रखे जाएंगे।

3. **धारा 13 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) में, "प्रत्येक स्थापन का नियोजक" शब्दों के पूर्व "दस या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 3 of 2026.

**THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS
(AMENDMENT) ACT, 2025**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title.
2. Amendment of section 7.
3. Amendment of section 13.

Act No. 3 of 2026.

**THE HIMACHAL PRADESH SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS
(AMENDMENT) ACT, 2025**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 9TH FEBRUARY, 2026)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969
(Act No. 10 of 1970).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called as the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments (Amendment) Act, 2025.

2. Amendment of section 7.—In section 7 of the Himachal Pradesh Shops and Commercial Establishments Act, 1969 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in proviso (a) of sub-section (2), for the word “fifty”, the words “one hundred forty four” shall be substituted.

3. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, in sub-section (1), after the words “every establishment”, the words “employing ten or more employees” shall be inserted.



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, इंदौर

518, न्यू सोनी बंगला, एच.जी. रोड, इंदौर- 452007

दूरभाष: 0731- 2432822, फ़ैस: 0731-2538600

ईमेल: compent@mp.gov.in वेबसाइट: <http://labour.mponline.gov.in>

क्रमांक 227/बीएस/नवम/प्रवर्धन/2024/ 4157 -356

इंदौर, दिनांक 18/02/2024

प्रति,

- (1) सचिव विभागाध्यक्ष,
- (2) सचिव विभागाध्यक्ष,
- (3) सचिव मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश

विषय- न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 01.04.2024 से पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन
इसे, एरियर मुक्तता बाबत।

उक्त विषयसंबंधी वम विभागीय, अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च, 2024 (व.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च, 2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचित निरीक्षणों में सिरोजित धर्मशोध/कारिणों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अगस्त, 2024 से पुनरीक्षित की गई थी: (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।)

उक्त अधिसूचना के विरुद्ध दि. मध्यप्रदेश टैक्सट्राईल लिमिटेड एसोसिएशन एवं अन्य साक्षिकाकारों द्वारा मामलीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर में साक्षिका क्रमांक WP.10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र. 11921/2024 एवं क्र. 12606/2024 दायर की गई: मामलीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर ने पारित आदेश दिनांक 08.05.2024 एवं महर्षिज आदेश दिनांक 21.05.2024 द्वारा वम विभाग, जोगाल की अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन इसे की प्रभावशीलता पर न्यूनतम विवादा का।

उपरोक्त मामलीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर द्वारा उक्त साक्षिकाओं पर दिनांक 10.02.2025 तथा दिनांक 20.03.2025 को पारित आदेश अनुसार वम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन इसे, समय-समय पर देय परिवर्तनीय महर्षिज आदेश सहित पुनः प्रभावशील हो गई है।



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन

(न्यू मोले बंगला, एम.जी.रोड, इन्दौर फोन - 0731-2432822)

फैक्स 0731-2536600 ईमेल icmfwages@mp.gov.in

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/ 6891

इन्दौर, दिनांक 28/02/2025

परिपत्र

विषय -याचिका क्रमांक WP.क्र. 10772/2024 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर के आदेश दिनांक 10 फरवरी,2025 के पालन में न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरों को लागू किये जाने के संबंध में।

-0-

01/ मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 04 मार्च,2024 (स.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04 मार्च,2024) द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों में नियोजित श्रमिकों को देय न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01 अप्रैल,2024 से पुनरीक्षित की गई थी। शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 के विरुद्ध दि. मध्यप्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन एवं अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में याचिका क्रमांक WP. 10772/2024, क्र. 9401/2024, क्र.11921/2024 एवं क्र.12606/2024 दायर की गई थी।

02/ माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा उक्त याचिकाओं को आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा निराकृत करते हुए श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च,2024 के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है -

"15. Therefore, to secure ends of justice and reflecting upon the stand taken by the State Government, the present petition is being disposed of with direction to the State Government to initiate fresh procedure prescribed under the Act of 1948 for revision of minimum wages for implementation of revised minimum wages from the date of decision taken by Government in consultation of Minimum Wage Advisory Board for Scheduled employment inserted vide notification dated 19.01.2025 viz. Sr. no. 36 (A) Textiles & Made-ups ; Sr. no. 59(A) Apparel Manufacturing (Woven, Knitted and Technical Textiles Fabrics) ;Sr. no. 73 Footwear Manufacturing.

"16. It would be needless to mention that Petitioner Association shall remain exempted from implications of notification dated 04.03.2024, as interim stay was passed in their favour immediately on 08.05.2024. However, since the issue involves payment of minimum wages to numerous workers and employees, it would be prudent to further direct that the State Government shall make endeavors to conclude aforesaid exercise within a period of 2 months from today and ensure participation of all stakeholders in Advisory Board meetings in the manner and procedure prescribed under the Act of 1948."

निवेदन-2

03/ माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा उक्त आदेश के आलोक में श्रम विभागीय अधिसूचना दिनांक 04 मार्च, 2024 (न.प्र.असाधारण राजपत्र क्रमांक 68 दिनांक 04.03.2024) द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें 'किसी टेक्सटाईल, मेड-अप्स, एपन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फैब्रिक से बने हुए अपैरल व फुट वियर निर्माण में नियोजन' को छोड़कर, शेष समस्त अधिसूचित नियोजनों पर समय-समय पर जारी दिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित पुनः प्रभावशील हो जाती हैं।

04/ श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एक.4(बी)1/2014/ए-16, दिनांक 15 जनवरी, 2025 (म.प्र.राजपत्र भाग-एक दिनांक 17 जनवरी, 2025) में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची में जोड़े गए निम्न नियोजनों में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार न्यूनतम वेतन निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से इन नियोजनों के नियोजकों पर उक्त पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन दरें प्रभावशील न होकर पुनरीक्षण के पूर्व में लागू न्यूनतम वेतन की दरें, नियमित रूप से समय-समय पर निर्धारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित लागू होंगी -

- 1- अनुक्रमांक 36(क) - किसी टेक्सटाईल एवं मेड-अप्स उद्योग में नियोजन
- 2- अनुक्रमांक 59(क) - किसी एपन, निटेड और टेक्नीकल टेक्सटाईल फैब्रिक से बने हुए अपैरल निर्माण में नियोजन
- 3- अनुक्रमांक 73 - किसी फुट वियर निर्माण में नियोजन

अतः उक्त पंक्तिका 03 एवं 04 अनुसार समस्त नियोजकों द्वारा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिये न्यूनतम वेतन का भुगतान नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।


(प्रवीण सिंह)
श्रमायुक्त

मध्य प्रदेश, इंदौर

क्रमांक 1/आठ/वेतन/भाग-3/2024/6892-7140 इन्दौर दिनांक 28/02/2025
प्रतिलिपि -

- 1- प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनाार्थ।
- 2- सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग/ सामान्य प्रशासन विभाग/ लोक निर्माण विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग/ कृषक कल्याण विभाग/ राजस्व विभाग (राहत शाखा)/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/ पुनर्वास विभाग/ वन विभाग/ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग/सामाजिक न्याय विभाग/तमंडा घाटी विकास विभाग/आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल

- 3- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.शासन, भोपाल।
- 4- आयुक्त जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 5- संचालक, कृषि विभाग, म.प्र. भोपाल।
- 6- समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 7- समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 8- समस्त उप अमायुक्त/ सहायक अमायुक्त/ अम पदाधिकारी/ सहायक अम पदाधिकारी/ अम निरीक्षकों की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 9- समस्त मुख्य कार्यापालक अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 10- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इन्दौर।
- 11- सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 12- सचिव, म.प्र.शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- सचिव, म.प्र.स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर।
- 14- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश अम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 15- लेबर व्यूरो शिमला (हिमाचल प्रदेश)।
- 16- प्रभारी अधिकारी, विधि शाखा, मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 17- प्रभारी अधिकारी, आई.टी.शाखा, अमायुक्त कार्यालय, इन्दौर की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 18- प्रभारी अधिकारी, अन्वेषण एवं अम कल्याण (शाखा-पांच), मुख्यालय इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 19- समस्त अम संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनायें।
- 20- समस्त उद्योग एवं व्यवसाय संगठन, मध्य प्रदेश की ओर सूचनायें एवं पालतयें।

अमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर
PC



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन एवं
परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.04.2024 से

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024
एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन
आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाइट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

मान.उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा याचिका क्र. WP.10772/2024
 एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.मई.2024 को पारित स्थगन
 आदेश के परिप्रेक्ष्य में

न्यूनतम वेतन एवं
 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
 दिनांक 01.04.2024 से

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-'क'	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरवत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्य/पाच/2024/ 14567-8/6

इन्दौर, दिनांक 24/05/2024


अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावीतम न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में विहित प्रावधान, सहयुक्त मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसार, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किया गया, माह जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता है:

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
योग/औसत सूचकांक	2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा इनका औसत 400 घोषित करता है, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के त्रिवे औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। त्रिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कृषिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संवद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्व/पांच/2024/ 14567-816 दिनांक 24.05.24 के अनुसार जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। मत छ. माही का औसत 386 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के उपर $(400-386)= 14$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुयायित नियोजनों के श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिदिन प्रतिमाह के मान से रुपये $(25 \times 14) = 350/-$ प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(400-241) = 159$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(25 \times 159) = 3975/-$ प्रतिमाह या $(3975 \div 26)$ रुपये 152.88 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(400-253) = 147$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि $(25 \times 147) = 3675/-$ प्रतिमाह या $(3675 \div 26)$ रुपये 141.35 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, शोपाल के पत्र क्रमांक 303/अर/577/82/वि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-82/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसार में, मैं एतद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं प्लेनरियों के लिये दैनिक वेतन की दर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2024 से देय है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजित श्रमिकों के लिये वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजित	भाग - एक
1	किसी फ्याब्रिक डिपार्टमेंट एवं प्रोसेसिंग कारखानों में नियोजित	
2	किसी इन कारखाने तथा उन उपखंड में नियोजित	
3	किसी जहाज के डिपार्टमेंट या समूहगत या मरदान निर्माण कार्य में नियोजित	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजित	
5	किसी इलेक्ट्रिकल इंडोय में नियोजित	
6	किसी विद्युत कार्य के निर्माण तथा संस्थापन में नियोजित	
7	किसी केमिकल तथा फार्मेस्यूटिकल्स में नियोजित	
8	किसी आरा मिल में नियोजित	
9	किसी तेल मिल में नियोजित	
10	किसी फायल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजित	
11	किसी मुरा पीका रिफाइनरी में नियोजित	
12	किसी धातु उद्योगों में जिसमें कोक, सिस्क्रिम, कल्फोवन्सी, आईस्सीम, आईसपैडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजित	
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर चिकने के कार्य में नियोजित	
14	किसी दुकान, सर्गिडियक हॉस्पिटल, आवासीय होटल, रेस्टॉरेंट तथा मट्टरगृह में नियोजित	
15	किसी मृदाशास्त्र में नियोजित	
16	किसी सीमेंट पॉल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजित	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजित	
18	किसी फ्यूल लोक में नियोजित	
19	किसी घुना भट्टों में नियोजित	
20	किसी इट भट्टों में नियोजित	
21	किसी पीपलस/जिसमें सार्वजनिक एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है में नियोजित	
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजित	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजित	
24	किसी ब्राह्मणारी उत्पादन में नियोजित	
25	किसी भारतीय जिसमें विद्युत्, सार्वजनिक, सेंटिटी वंडर, इन्सुलेशन, टर्बिन्स, सीमेंट से निर्मित टर्बिन्स को (इंजिन) स्टार वंडर फोर्टिस फवरेस, लॉडिंग डिपन तथा अन्य सार्वजनिक समस्त सम्मिलित है, में नियोजित	
26	किसी सैन्य नियोजित कार्य में नियोजित	
27	किसी क्लॉथ फैक्ट्री निर्माण कार्य में नियोजित	
28	किसी कच्चा उद्योग में नियोजित	
29	किसी रसायन गैस वी/निलोनों में नियोजित	
30	किसी इंधनकारी उद्योग में नियोजित	
31	किसी खनिज में नियोजित	
32	किसी टर्बिन्स, जिनमें गैंगलीर, टर्बिन्स, अतलापाद टर्बिन्स तथा अन्य स्थानीय मध्य में प्रचलित टर्बिन्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टर्बिन्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजित	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया को कि कारखाना अधिनियम, 1948 के धारा 10(अ) में परिभाषित की गई है, परन्तु नहीं है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य परिधि के अंतर्गत नहीं आती है, में नियोजित	
34	किसी कारखाने उत्पादन जिसमें परास्त्र कण्ट तथा विद्युत विज्ञान (टैजनाटिकल) एडोपाता सम्मिलित है, में नियोजित	

35	किसी प्रायवेट वित्तियन संस्था, जिनमें कॉमिन्ड बैंक भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमाड) वस्तु विनिमोपाय में नियोजन
39	किसी बटमन जैसे कंकड़, मुरत, लोहाइल, कोल्डन, चायल, शिमरा, लघुधरणा रेली, चिन्डिम स्टोन, रोट मेटल, अथे कुलमी, अथे और लोडन स्टोन तथा अन्य खदान जो 'आग अधिनियम की धारा 3 के अधीन चूट जाय है, में नियोजन
40	किसी अंतर्राष्ट्रीयक कर्मशास्त्र पद मरम्मत हेतु संचालित गैरलेस में नियोजन
41	किसी जेम्सी में नियोजन
42	किसी कोल्ल स्टरीज (खेतगाय) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्तरांत तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमालूनी या थियेटरो में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी अथवाजी या किसी अन्यकॉडमनुक्त
48	किसी अधिनियम या अदानी के तत्परत में नियोजन
49	किसी हेजर कटिंग सेकुर या स्पूटी पालर में नियोजन
50	किसी डबोक या पेस्ट्रीसड्ड (कीटनाशक दवा) के विनिमोन में नियोजन
51	किसी ड्रिगिंग प्रकलयन या ट्यूबवेल के अन्वेषण में नियोजन
52	किसी इन्वेस्टीगिस्त या सड्ड करवे में नियोजन
53	किसी पेडोल या हीजल पम्पी में नियोजन
54	किसी के किसी लूटाई करवे में नियोजन
55	किसी नीने और चांदी की वस्तुओं के विनिमोन में नियोजन
57	किसी अंठी रिक्वा और टैक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विमान संचालनको उपभोगता को-ऑपरेटिव सोसायटी और सहायी बैंक (ले-अपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजघरी में नियोजन
60	किसी लघुन निगम (जिनमें डिस्ट्रिक्ट भी सम्मिलित है) में नियोजन
61	किसी डेवरी और दूध में उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी चिन्डोक निगम, जिनमें कपडे से निर्मित चिन्डो भी सम्मिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिस्ट्रिक्ट सेवजों में नियोजन
64	किसी कृषिय, तथा गैर सरकारी दवा सेवजों में नियोजन
65	किसी दारा प्रोडक्शन कार्य में नियोजन
66	किसी सुंकार, बडी, पायड तथा ऐने ही बाय पदारी प्रसस्करण में नियोजन
68	किसी लोडनो एवं अन्य वस्तुओं के विनय संगणत कार्य में नियोजन
70	किसी कपडे करवे में नियोजन
71	किसी पुरतस्थिक कार्य में नियोजन
72	किसी मृत्तना संशोधनिक कार्य में नियोजन
	भाग - दो
1	दूध में नियोजन

(स्वायं कुमार सिंह)

अग्रायुक्त,

मध्य प्रदेश, इंदौर

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के ब्योजन के त्रिवे (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर साल की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सदस्य ने एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बंटाये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्गों के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में उल्लिखित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
 - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दस्तावेष्टक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारों से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसमें उन्नी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सीधे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उनमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य की-बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या विस्तृत आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक काम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा खाल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारों से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी दिग्गो एवं विज्ञानाधारि हो, उसे व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सहाय तकनीकी या व्यवसायिक परिशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबत किये जाने वाले निर्णयों या परिस्थितियों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का व्यावहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सही गये कार्य की दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी टिप्पणी या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इन पाँच अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जाएगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समान्य नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील संशुद्धि भत्तों के योग से अधिक होने पर वह संशुद्धि जायेंगी कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील संशुद्धि भत्तों दिये जाने का वास्तविकता जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील संशुद्धि भत्तों का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील संशुद्धि भत्तों के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए वास्य लागे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (कमंक 1) सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन परिवर्तित किए जावहार विक्रम टिप्स के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहाँ कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सैतनिक अवकाश देने पर सम्य-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजकों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।
9. कर्मचारियों के प्रसार जो विभिन्न वर्गीकरण में बतवये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसी धरी के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का स्वयं करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिक एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

(स्तव्य कुमार सिंह)

अस आद्युक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की

सहायक श्रेणी :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), मिश्री, स्वीपर, क्लोनर/हेल्पर, अप्रतिष्ठित माली, घपरासी/प्यून/ धूल्य, चौकीदार, आईल इलनेपाला, वाटरमेन, घन्नासी, वीकल अटेंडेंट, पद्मेदार, कुली, डाक खर, कोथमेन, चैंटल क्लीनर, बंटर, सप्लायमेन, गेटकीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टमैन, वेल्डर, प्लम्बेन, लैडेवाला, सिलाई ऑपरेटिंग, उदिया कार्य करने वाला, बरशाह, कांजी हाउस मेन, लायसेंस वॉकर, बालवाडी आया, बाम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्लांट पर रखी पिलाने वाला, सेलकटर, जिन नुबदम, जिन मुकदमी, क्लॉस कैरियर (इलेक्ट्रिक), गती वेज फिलर, लिटकेरियर, कोटतशीट्स कैरियर, कपास विकर, जिन पीहर, झाडूवाला, घोड़ेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई काराचारी, कोसा फलों की निम्ती करने वाला, कोसा फलों को छानने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों को तस्से कटने वाला, कोसा फलों को बारी में भरने वाला, डीरो की सिलाई करने वाला, गन्ना इतने वाला, बोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, इलायदार, प्राथिम लेवा पैपर, बोरी भरई, छ्पाई, हुनई, वेजिंग लडाई या खाली करई के बरम में लगे श्रमिक, आया, वाईबॉय, सेल्युरिटी गार्ड/सुरक्षकर्मी, अटेंडर, अटेंडेंट, वाई सप्लायर, पैटर, सजापट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (मिक्लस), सेटमें (मिक्लस), चादर में गेटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी टोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी टोने एवं भरने वाला, प्रेम का बरम करने वाला, लोण्डोनेल, घोशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूधना, पापड देलने का कार्य, पेलबॉय, वेटर, इस अटेंडेंट, घागा कटिंग, वेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई पुताई वाला, लिफ्टर, सफाई कारखाना तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल -

टार स्प्रेयर, टार हेण्डलर, क्लरपेट इसर, प्लाइंट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, पेशर, टाईविस्ट, क्लक, मोहॉरर, सहायक मिस्त्री, साईनमेन, सहायक पिजली मिस्त्री, सहायक आर्परेटर-वाटर पंप्स, कोबलर, हाफ प्रेममेन, विल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक वाइल्डर, सहायक कारपेंटर, सहायक वेल्डर, सहायक पिपर, सहायक बनेमस्त्रिकर, सहायक माल्टर, सहायक वेल्डर, सहायक पलकबुईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शंपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक वीसर, सहायक आईलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जाय करने वाला गिरीक्षक, धातुमेन, फायरमेन, लिपिक, पन्थ अटेंडेंट, वहीलबरो कैरियर, एवेरीमेन, व्वायटलिंग, क्लेनिंग, प्रैसरी हायर, टेबलेट मशीन आर्परेटर, ब्रोतल फिलर, केप्लूत फीलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकदम, आईलमेन, गेट, रेड मजदूर, वायरमेन, एफतपेला मेन, मशीन अटेंडेंट, विल कलेक्टर, विल थर्न, रिगाइंडर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटीमेन, सहायक सेफ्टमेन, मसालाची, सहायक मेसन, गारेवान, मिट्टी गूधने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे का पिजली पर ईट जमाने वाला, मशीन फोल्डर, स्टीपर फोल्डर, इन्फोल्डर, पाटाफोल्डर, गांठवाला, सहायक जोपर, सहायक रुथिड जगापट पंचरुयल/ ग्रास पंचरुयल, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागा को मशीन से टिश्यट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, श्वचर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक, कतिई कर्मचारी, उन कतिई कार्य के कतिने, कटर होजिबरी, चीपर, सहायक पैल आर्परेटर, सहायक साटैर, मूशी, फार्मेसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सो.जी असिस्टेंट, असिस्टेंट क्वाड्रन्टर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिक्कुरिटी सुपरवाईजर, कोषिस्ट, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन आर्परेटर, मशीन अटेंडेंट, पन्थ खलानी, डिपिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, मिक्लस शीप श्रमिक, पंच आर्परेटर एवं मेकसालर, मिक्लस श्रमिक, बनेजर पैल

मिश्र, क्रियवान, कियन्त अंतर्लोटर्स, होजियरी नशील हेल्पर, सहायक कण्डसा ऑपरेटर, पिपर, मेकेनिक कमा हेल्पर, कण्डसा मेकेनिक कमा हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक नशीलमेन, विथी सहायक, सूत स्टॉफ इंधार्ज, मशीन ऑपरेटर, सहायक मिक्सरमेन, सहायक टेक्निशियन, हावार्डन सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक भाडी, सहायक कुक, युक्ति कर्मी, धेजर, अन्य, पैकिंग वाले, लेजर मेन, शर्ट के फलने बिछाने वाला, सूत टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश वाला, अतिस्टैट सुपरवाइजर, सहायक कैमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक जॉइंट कजर टैका, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, एके सहायक, सहायक सर्वयर, जमीन, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धशाल कर्मचारी आदि।

कुशल -

जीताखोर, लोपेल एण्ड शैल लाईन जोबाईल फ्रेम ऑपरेटर, कैमिस्ट, डिजिन मशीन ऑपरेटर, मेसज, फ्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई पास या मध्यप्रदेश अनुशासन सण्डल से लायसेंसधारी), कंठिस्ट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलेर मास्टर, एक्सडन्टेड, केशियर, गोंडाउन्लीपर, फीटर, वॉयलर अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, जे.सी.डी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डन्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, घालका(खारी वाला), अट्टी घालक, टेक्नी कालक, ड्रिलर, ग्राइण्डर, मेकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, पेशर मेन, राईस मिन्त्री, सुपरवाइजर, क्लनसास, कुक, लंदूरी, टी-मैन्टर, आइर मास्टर, क्लीनर, मिठाई बनाने वाला कर्मीपारी, पोह बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पब्लिक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या मध्यमशाली, ऑपरेटर पाटर कक्स, उपयोजी डिजाइनेर, वापलालय सहायक, सिनियर गार्ड, फायरमेन, क्लिटर इंधार्ज ऑपरेटर, मुनीन, गुड पॉलिशर, डोर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, रत्नेकस्मिथ, शेपर, क्लनगाईजर, रिमा, फ्रेममेज, अपहोलन्टर, कारपेंटर, टैनिशियन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्नमेकर, हेमरमेन, गॉसर, प्रयोगशाला तकनिशियन/ लैबोरेटरी टेक्निशियन, शोधक, वेल्डिंग, प्रयोगशाला सहायक, पैपमिक्सर प्लाण्ट अटेंडेंट, माटरमेन, अट्टी वाला, पेंटर, फोटोप्रिंटी ऑपरेटर, लॉडर्स, अक्लंडर्स, लाईन फेसर्स, बिजली मिन्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंधार्ज, फ्रेम मशिनिस्ट, क्लोई इंधार्ज, कन्सेप्स ऑपरेटर, लोन्डी अटेंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिब्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्पाउण्डर, सीनियर नेत, रेकार्डशिपर, ओ.टी.मेकेनिक, टववन्कपक, खानवास प्रभरी(वाहन), दर्जी, गेसर मिन्त्री, त्कलीपी कार्य करने वाली व्यक्ति, हाईपर, मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोनकर, चरखा चालक, मास्टर (करीगर), जैकब बुनकर, बुनकर, फ्रेमवूम मास्टर, वीसरमेन, पेंटर, वरिष्ठ लेबाघल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, गुड पॉलिशर, इन्कमोलेन ड्राजर, स्फेयर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मेकेनिक, कैमिस्ट/ लैबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लाबोरेटरीन (ग्रंथाल), पाईपमेकर ऑपरेटर, पॉलिशर, टूल्स इंधार्ज (मेड, पिक्नि), नेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मेकेनिक कमा ऑपरेटर, वेल्डर, पेटस मेकेनिक कमा ऑपरेटर, सर्वेनिक सचिव, सेल्समेन, आर्टि सिब्युरिटी गार्ड, वाइल्डर, कसब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, हायरिशियन, क्लनजर, क्लेपन, बरमेन, स्ट्यूडेंट, वेकरी करीगर, ऑपर/अट्टी करीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गसाई- फोटर, लहर बिचन, आभूषण जडई करने वाला, सोप मेकर, प्लाण्ट ऑपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिटोपमिस्ट, ब्रांडर, ब्रड एन्स ड्राजर, इट्टी एट्टी ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, अट्टा गूथने वाला, पैकर, पीजेक्ट ऑपरेटर, जेनीफेनिस्ट, रिक्वैर, रेड्युकर, सर्वयर, गार्ड, सुपरवाइजर, सांटर, ग्राइण्डर, मेकेनिकल हाउस कीपीन, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।

उच्च कुशल -

मेडिकल एवं इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईड्रॉ इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वियासोडिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साइंटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल वर्गधारी आदि।

(ऐसा वर्गधारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, विद्या या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकडन्ट, केशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, फर्कर आदि।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोनिशोग्राफर, मिथाओफिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, मिथाओफसेट, प्लेटमेकर, मिथाप्रेसमेन, मिथाओफसेट प्लेटमेकर, मिथाओफसेट कापी वेस्टर, मिथाओफसेट प्रिन्टर तथा लेथरलेड प्रिन्टर, मिथाओफसेट टाइपफर प्रिन्टर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

कैमरा ऑपरेटर, कन्सिलियन आर्टिस्ट, हाइड्रोजन हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिनएयर, इयकलरेयर, लाइवो ऑपरेटर, लाइवो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोट्राइप, की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोट्राइप मेकेनिक, रोटी प्रेसमेन, सेक्शन हॉल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

फर्कराजिटर, टाइपकास्टर, टाइपफर प्रिन्टर, सिनेज्ज प्रेसमेन, गिल्डर कारपेटर, ट्रेडन प्रेसमेनएयर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर, नशीनमेन, फटर, बाइन्डर, सिटिंग नशीनमेन, सलिंग नशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

लियोओफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, यांत्रिकमेन, टैक्सोलेटर, वॉलसीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्रेसनेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लियोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेजर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट क्लॉथी प्रेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्टैंडिंग फार्मकीयर, ट्रेसर, फॉल्टिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, वाक्स पंचर, हेण्डब्रायस या इन्वोलुप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा आधरेटर, असिस्टेंट एयर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, लम्बर या पेजिंगमेन, घेफर पुक क्लर या गेली प्रेसमेन, टाईपसेटर, रोलर नेफर या क्रास्टर, इंक ग्राइन्डर, फरफोरेटर, लेयर पंचर, रूलिंग फिडर, डिजिटिंगमेन, ड्राययर, इक्रेन्स अतिस्टैंट, फाउण्ट्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ओपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर वाइन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाइनोंबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी बिलर, हेण्डवोल्टर, बालर, हेल्पर ग्राइंडिंग वायलर क्लोनर, मजदूर आबिजलरी, गेलीपूफ प्रेसमेन, बायलर अटेंडन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर क्रास्टर, पेपर सप्लायर, क्रास्टिंग बाच, रोलर क्रास्टर, चौकीदार, प्यूज, माली, लियो साधारण ओफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।


(सुनील कुमार सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



**अनुसूची - 3
विभिन्न अनुदानों के विवरण**

जिला नगर विकास-2024 के विभिन्न विधायकीय कार्य एवं कार्य-योजना के अंतर्गत व्यय के

व्यय-प्रकार		वित्तियत व्यय		कुल व्यय		वित्तियत व्यय		कुल व्यय		वित्तियत व्यय		कुल व्यय	
प्रमाणित	अप्रमाणित	प्रमाणित	अप्रमाणित	प्रमाणित	अप्रमाणित	प्रमाणित	अप्रमाणित	प्रमाणित	अप्रमाणित	प्रमाणित	अप्रमाणित	प्रमाणित	अप्रमाणित
वर्ष 2023-24 के लिए						वर्ष 2024-25 के लिए							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0700	150.00	3624	27.88	8471.5	377.58	778	...	6504	250.00	3175	141.20	10175	446.38
8918	224.42	3478	128.92	12000	462.85	884	...	8915	174.42	3975	152.88	10912	477.31
2007	891.42	3625	155.47	10882	438.85	419	...	7057	271.42	4075	152.88	11037	464.31
0755	574.47	5575	128.72	13363	511.45	714	...	8725	174.42	4075	152.88	12780	259.31
0188	872.50	3275	14.42	17180	311.92	512	...	3635	377.50	4075	152.88	14880	325.38
0313	340.88	1725	19.42	12004	504.12	505	...	1878	160.00	4075	152.88	13375	213.58
5175	124.42	3075	114.42	10060	465.85	661	...	8435	324.42	3875	152.88	10470	477.31
8437	208.82	1878	128.42	12060	481.85	664	...	8435	324.42	3875	152.88	12810	477.31
7057	271.42	3625	138.42	8082	410.85	811	...	7057	271.42	3975	152.88	10318	464.31

टिप्पणियाँ -

1. अ. प्र. विवरण में 0700, 0755, 0891, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899, 0900, 0901, 0902, 0903, 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909, 0910, 0911, 0912, 0913, 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919, 0920, 0921, 0922, 0923, 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929, 0930, 0931, 0932, 0933, 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939, 0940, 0941, 0942, 0943, 0944, 0945, 0946, 0947, 0948, 0949, 0950, 0951, 0952, 0953, 0954, 0955, 0956, 0957, 0958, 0959, 0960, 0961, 0962, 0963, 0964, 0965, 0966, 0967, 0968, 0969, 0970, 0971, 0972, 0973, 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979, 0980, 0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989, 0990, 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 2/11/अन्व/प्राच/2024/

14817-15066

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य से प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, संशोधित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसारण में, मैं स्वतंत्र कुमार सिंह, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किया गया। माह जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जुलाई, 2023	1215
अगस्त, 2023	1224
सितम्बर, 2023	1226
अक्टूबर, 2023	1241
नवम्बर, 2023	1253
दिसम्बर, 2023	1257
औसत सूचकांक	$7416 \div 6 = 1236$ (1236)

तथा इनका औसत 1236 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्धार व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील अङ्काई भत्ता देय है।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोलर, दिनांक 04.03.2014 (न.प्र.राजपत्र अख्यारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना प्र. 2/11/अन्व./वाच/2024/148/7-15066 दिनांक 24.05.2024 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1236 रहा है। गत छ माह का औसत 1180 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1180 के उपर $(1236-1180) = 56$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 6/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मात में रुपये $(6 \times 56) = 336/-$ की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 $(1986-87-100)$ के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $(1236-768) = 468$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $(468 \times 6) = 2808/-$ प्रतिमाह या $(2808 \div 30) = 93.60$ प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय वेतन $5350+2808 =$ रुपये 8158/- तथा $8158 \div 30 =$ रुपये 271.93 (राउण्ड-अप रुपये 272/-) प्रतिदिन (30 दिन के मात से) दिनांक 01.04.2024 से देय है। (अनुसूची- द के लिए)।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्य/पांच/2024/

15067-316

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सहज प्राधिकारी के अधिकार बनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्य प्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्याखोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारी का पयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के तबका इन्फो, शिमला से प्राप्त कर, में स्वतंत्र कुमार सिंह, बनायुक्त, मध्य प्रदेश इन्दौर विगत जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए क्रमानुसार प्रकाशित करता है:

	माह / वर्ष	अधिल भारतीय बीपी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960-100)
1	जनवरी, 2023	8730.09
2	फरवरी, 2023	8723.51
3	मार्च, 2023	8762.95
4	अप्रैल, 2023	8822.12
5	मई, 2023	8854.99
6	जून, 2023	8966.74
7	जुलाई, 2023	9183.68
8	अगस्त, 2023	9150.81
9	सितम्बर, 2023	9039.06
10	अक्टूबर, 2023	9098.22
11	नवम्बर, 2023	9144.24
12	दिसंबर, 2023	9124.52
	योग/ औसत सूचकांक	107600.93 ÷ 12 = 8966.74 (8967)

तथा क्रमानुसार इनका औसत 8967 घोषित करता है, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीपी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह धन्य सूचकांक (एतदुक्त सर्वरज कार्ड ऑफ विधिग इन्फोस नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एक-4(सी)-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्य प्रदेश शासन के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महंगाई अन्तः-बीपी श्रमिकों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अन्तर्गत सहज प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणक एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (स.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (स.प्र.राजपत्र भाग (VI) दिनांक 12 दिसंबर,2014) के अंतर्गत किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अधिक भारतीय उपमहाद्वीप मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक देय है।

अनापूर्वत कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्ये/पांच/2024/15067-
 भाग 3/6 दिनांक 24/05/2024 के अनुसार जनवरी,2023 से दिसंबर,2023 तक की अवधि में अधिकृत भारतीय उपमहाद्वीप मूल्य सूचकांक का औसत 8967 रहा है, इस तरह अधिकृत भारतीय उपमहाद्वीप मूल्य सूचकांक 5299 (1960-100) के आधार आंकड़ों के औसत के उपर $(8967-5299 = 3668$ पाइन्ट) 3668 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 01 पैसे प्रति बिन्दु, प्रति हजार बीड़ी का ज्ञान से रुपये 36.68 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

अनुसूची - ई

किसी तम्बाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का वर्ग	व्यवस्थापक वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	74.00	36.68	रुपये 110.68 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का जोड़ रुपये 619.81 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रुपये 619.81 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।

नोट - एक हजार बीड़ी रोलर पर स्थूलतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को मान्य वीट 9 रुपये 68 पैसे (8.33 प्रतिशत), अतिरिक्त उपभोग के लक्ष्य में भगत भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5 प्रतिशत), एवं अधिकृत निधिपत्र बाधक नियोजन का अंशदान 11 रुपये 52 पैसे (10 प्रतिशत) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होंगी। इस संगत देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का अविध्वंस निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बनाने पर दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 की अवधि में श्रमिकों से 11 रुपये 13 पैसे एवं अविध्वंस निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे उपराल तुद्ध राशि 114 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनशील मरगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
2. रिटायर्ड श्रमिक			
अ- बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1. लेबल चिपकाने तथा पुड़ी को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	₹. 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 89.07
2. यदि कट्टों पर टॉपों और लेबल लगाया जाता है।	₹. 56.26 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 92.94
ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1. झिल्ली पर लेबल लगाना	₹. 45.95 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 36.68 (02 पैसे प्रति 2000)	रुपये 82.64
2. झिल्ली लगाना	₹. 33.54 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 27.51 (03 पैसे प्रति 4000)	रुपये 61.05
3. लेबल मरगाई	₹. 12.84 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 22.01
4. पूजा उलाना या चिपकाना	₹. 13.25 प्रति 1000 कट्टों पर	₹. 9.17 (02 पैसे प्रति 8000)	रुपये 22.42
स. एक हजार कट्टों पर, जबकि 25 बीड़ियाँ का कट्टा हो :-			
1. आड़ी तथा खड़ी घट्टी लगाने का कार्य हो	₹. 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 339.36
2. झिल्ली आड़ी तथा खड़ी लगाने का कार्य हो	₹. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 360.31
3. झिल्ली तथा लकड़ी झिल्ली लगाने का कार्य हो	₹. 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	₹. 146.72 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 360.31

नोट - बीड़ी विभाग के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन जाने वाले कर्मचारियों जैसे घड़ी छंटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू निष्काषण तथा धुलने का कार्य करने वाले, कट्टी वाला रसोइया, ड्रायर (मारी कान), लेबल वाला, एकड्रिफ्ट, मनीम, कैशियर, गार्ड/डन कीपर, स्टोर कीपर, टाउपिस्ट, बिलमैन, बत्तक, भूतप, धोबीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारी का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा -

- 1- कुशल - ड्रायवर/वाहन (भारी वाहन), एकउन्टेट, सुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेड क्लर्क, मोबाइल कीपर ।
- 2-अर्द्धकुशल- बीड़ी छटने तथा जाच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्रायवर (सूफे वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क आदि।


(स्वतंत्र कुमीर सिंह)

अभायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सहाय प्राधिकारी




Effective Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.04.2024

V.D.A. revisable annually with effect from 01.04.2024

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	36.68
3.	Leave with Salary (@ 5% of total wages)	05.53
4.	Total Wages	116.21
5.	Bonus (@ 8.33% of total wages)	9.68
6.	P.F. contribution of Employer (@ 10% of total wages)	11.62
7.	Total Wages + Bonus + P.F. contribution = Less Contribution of Employer (-)	137.51
8.	Total Wage + Bonus	125.89
9.	Less P.F. Contribution of Employee (@ 10% of Total Wages(-)	11.62
10.	Net Payable to Beedi Roller	114.27


(Swatantr Kumar Singh)
Labour Commissioner,
Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्व/पांच/2024/ 15317-566

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अनायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर च्युरो, शिन्हा से ज्ञात कर नै, स्वतंत्र कुमार सिंह, अनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विगत जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांक में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

क्र. / वर्ष	अधिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)	
1	जुलाई, 2023	402.34
2	अगस्त, 2023	400.90
3	सितम्बर, 2023	396.00
4	अक्टूबर, 2023	398.59
5	नवम्बर, 2023	400.61
6	दिसम्बर, 2023	399.74
योग/ औसत सूचकांक		2398.18 ÷ 6 = 399.70 (400)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 400 घोषित करता हूँ, जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी वनाज भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज क्वार्टर ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-2013-ए-सीनई, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील माहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन घटने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2024 से देय रहेगा।

(स्वतंत्र कुमार सिंह)

अनायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किरी रावराव (जिसमें बीबी बनारा भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित बर्षों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीकित दरों के संबंध में विवरणात्मक रूप

श्रम विभाग, मीनाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-ए 94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.6.1997) एवं श्रम विभाग, मीनाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1 2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसम्बर, 2014) के अंतर्गत किरी रावराव (जिसमें बीबी बनारा भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, जय प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अन्य/पाच/2024 ²⁰²⁴ ~~2023~~ 15317-566 दिनांक 24.05-2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसम्बर-2023 तक को अर्थात् में अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। मत छः माही का औसत 386 रहा था। आत इसके कारण मत छः माही में मान्य किये गये अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (400-386) = 14 प्वाइन्ट) 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप वीही नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर वजन करने वाले कार्यचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये 25x14 = 350 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 400-239=161 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल रकशि (25x161) रुपये 4025/- प्रतिमाह अर्थात् (4025x26)= रुपये 154.81 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 9100 रुपये का 9100=26x 350 रुपये प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

सभी निर्माण के संघों में दैनिक या मासिक दर से वेतन वाले कार्यचारियों की दर परिवर्तनशील मानाई करते रहित दिनांक 01.04.2024 से निम्नानुसार देय है :-

(अच्छे रूप में)

क्र.	कार्यचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील संस्थाई भत्ता		कुल वेतन		सर्वे राजे अप जी
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	दैनिक दर
1	सम्बन्ध तथा सैन्यता देने पर वीटिक प्राप्त करने एवं इसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, सम्बन्ध शिक्षण तथा छानने का कार्य करने के लिए, शर्टी वाला, ससोडया, माइन डायवा(वाल्क) हल्के वाहन, टावरिस्ट, कलके विज्ञान	5075	195.19	4025	154.81	9100	350	350
2	हुक में मान रहने या उनारने या बंडिचरी के पूटी पर रहने के कार्य में लगे व्यक्ति, मृत्य, पीलीया	4945	190.19	4025	154.81	8970	345	345
3	इन्फर (वाल्क) आरी मान, एफडस्टेट, नुबीज, कोसेपन, लीवर पीपर, गोडवादीपर, इडवाल्के	5225	200.96	4025	154.81	9250	355.77	356

स्पष्टीकरण

1. सजदरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक सजदरी निर्धारित की जावेगी। पित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ.9-7/2006/ नियम/घार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे ही लें, इन्हे अगले उपखतर रुपये में पूर्णकित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
2. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का घटने किसी भी कार्यचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, तब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
3. न्यूनतम वेतन दरों का घटने किसी भी कार्यचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के तहत (क) के अधीन परिष्कृत किये अनुसार दिवस दिवस के संघ में पारिभ्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
4. परिवर्तनशील संस्थाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तरम तौर में लैबर ब्यूरो थिम्बला द्वारा निर्मित औद्योगिक शक्ति, के निचे उचित कारखाने उपरोक्त न्यूनतम वेतनक 5299 (2001=100) पर आधारित है। 5299

सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तरम् अंक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जायेगी और स्तरम् तीन में परिवर्तनगत महगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महगाई भत्ता मानी जायेगी। एक जनवरी से देव परिवर्तनशील महगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सबसे प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जायेगी।

- 5- निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करता ही जो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
- 6- जहाँ नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बजाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तन्मातृ, तन्दूपरता, धारा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विश्व महगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज लक्ष्य जावेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 7- गारण्टी वेज से कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
- 8- यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडियां सप्ताह में बताने के लिये पर्याप्त है, का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
- 10- अगर, विपत्ति, महगाई, असैनिक क्षीम या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।


 (सत्यन कुमार सिंह)
 कमायुक्त,
 मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्व/पांच/2024/ 15567-816

इन्दौर दिनांक 24/05/2024


अधिसूचना

अगरवल्ली उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्याखोजित किये जाने से, उक्त पदवर्ती अधिकारियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के वेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किये, श्री स्वतंत्र कुमार सिंह, अनायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर दिनांक 24 जुलाई, 2023 से दिसंबर, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता है:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय अगरवल्ली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई, 2023	402.34
अगस्त, 2023	400.90
सितम्बर, 2023	396.00
अक्टूबर, 2023	398.59
नवम्बर, 2023	400.61
दिसम्बर, 2023	399.74
औसत / औसत सूचकांक	$2398.18 \div 6 = 399.70 (400)$

तथा दिनांक 04/04/2024 को औसत 400 घोषित करता है, जो कि अगरवल्ली उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कान्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, जोषाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्दिष्टित पारिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरवल्ली उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 04/04/2024 से देय है।


 (स्वतंत्र कुमार सिंह)

अनायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप अगरवती उपोद्योग

श्रम विभाग, मॉडल दर: अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोतह, दिनांक 29.09.2014 एवं श्रम विभाग, नेपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य, प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरवती उपोद्योग में नियोजित श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/3अवे/पाच/2024/15567-816 दिनांक 24.05.2024 के अनुसार जुलाई-2023 से दिसंबर-2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 400 रहा है। मत छ: जारी सत्र औसत 386 रहा था। अतः इसके कारण सत्र छ: सारी में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उधर $(400-386) = 14$ प्रतिशत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरवती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये $25 \times 14 = 350$ रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के उधर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में $400-241=159$ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये $25 \times 159 = 3975$ प्रतिमाह या $3975 \div 26 = 152$ रुपये 88 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरवती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 159 पर $(159 \div 4 = 39.75)$ रुपये 39.75 पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 01.04.2024 से देय होगा।

अनुसूची - एफ

अगरवती उपोद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरवती रोलसे (1000 अगरवती रोल करने पर) साधारण	21.40	₹. 39.75 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति बिन्दु)	₹. 61.15
(ब) सुगणित (सेंट्रल)	22.00	₹. 39.75 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति बिन्दु)	₹. 61.75

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर परिकल्पित प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक कि न्यूनतम वेतन की दरें उसके समकक्ष नहीं हो जाती हैं। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

(38) निम्न वजन के अनुसार अग्रवर्ती गिज, बटर वेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पॉकेट में अग्रवर्ती पॉकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेज बन्द करना।

बिना सिलोपेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 52.28
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.23	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.98
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 83.05
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 83.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 105.14
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 106.72
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76	रु. 79.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 132.26

सिलोपेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 31.80 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.14
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.35
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00	रु. 52.47 100 पैसा प्रति 300	रुपये 85.47

			(33 पैसा प्रति बिन्दु)	
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 34.48	रु. 52.47	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 86.95
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 37.03	रु. 52.47	100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 89.50
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 63.60	100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 106.72
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 51.00	रु. 79.50	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 130.50
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 54.47	रु. 79.50	100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 133.97

(इ) निम्नानुसार पुंगरी बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अवरप्रतियों को मिलकर झिल्ली लपेटना, पुरालिया में भरना, लेबल या सिलोपेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

बिना सिलोपेन या जिलेटिन के

1. 10 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 15.98	रु. 27.03	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 44.01
2. 12 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 17.80	रु. 27.03	100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 44.83
3. 23 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 21.30	रु. 31.80	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.10
4. 50 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 22.19	रु. 31.80	100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 53.99
5. 100 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 39.75	100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 66.35
6. 200 अग्रवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 28.70	रु. 39.75	100 पैसा प्रति 400	रुपये 68.45

(25 पैसा प्रति बिन्दु)

(क) सार्द त्रिकोण में अंगरबाली रखकर बण्ड करना।

1. 5 अंगरबाली के लिए	प्रति सेकंड रु. 3.85	रु. 6.36 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 10.21
2. 10 अंगरबाली के लिए	प्रति सेकंड रु. 4.44	रु. 7.95 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 12.39
3. पुकली बगानों के कागज (सोल्डि वेपर्स)	प्रति सेकंड रु. 36.34	रु. 11.13 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 47.47

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
दिनांक 01.04.2024 से देय

(अंकट रूप में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिचर्याधीन महंगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्य-अप रुपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1	पुत्र बनाने वाला, सहायक भरतें वाला, मुख्य कर्मचारी	5839	228.42	3975	152.88	9914	381.31	381
2	टाइपिस्ट, क्लर्क, पीटी भरतें वाला, सहायक लेखनी वाला	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
3	एक्साइजिट, केंसिगर, गार्डन कीपर, सिवनी, ड्राइवर, पीटी बनाने वाला	8415	324.42	3975	152.88	12410	477.21	477

नोट - उपरोक्त उपाग से संबद्ध कर्मचारी जैसे, पीटी बनाने वाला, सिवनी, ड्राइवर, पीटी भरतें वाला, सहायक लेखनी वाला, एक्साइजिट, केंसिगर, गार्डन कीपर, टाइपिस्ट, क्लर्क, मुख्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन पुराल, अर्द्धकाल, एवं अकुशल वर्गों की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण -


- मजदूरी निर्धारण में जैसे तथा रूपरे के गुणकों को राज्य-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। दिनांक 20 सितंबर 2006 के परिपत्र संख्या एन-7-2006/विद्यार्थ/घर, दिनांक 20 सितंबर 2006 में 50 पैसे अधिक द्वारा अधिक पैसे हो लीं, उन्हें अगले उच्चतर रूपरे में पूर्णकृत किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिस्थित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकाल नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)-ए)

- अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिचर्याधीन महंगाई भत्ता (पी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अर्द्धकाल भारतीय उपमहाद्वीप मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके परधान सूचकांक कहा जावेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिए प्रतिदिन समुच्च अर्द्धकाल किया गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति दिन प्रति माह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक 01 मही जुलाई से दिनांक

तथा जलद्वी से जुन, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी और कजरा: 01 अपिल तथा 01 अपद्रुमर से दिये होंगे। इस प्रकार संगठित परिवर्तनशील महसूबई कजरा न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किये जायेंगे।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जायेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की चारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिचालित किये गये अनुसार दिनांक दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों से पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


(मन्तर कुमार सिंह)

कमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



श्रमाप्युक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक. 6/11/अन्य./पांच/2024/ 15817 - 16066

इन्दौर, दिनांक 24-05-2024

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से न्यूनतम वेतन की दर, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-2-

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)-2013-अ-16 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दर पुनर्निश्चित की गई थी, जो अधिनियम भारतीय उपलब्धता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001= 100 को आधार मानकर संवद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विधायकता अनुसूचित नियोक्तों की सूची में क्रमांक 1 से 35, 39 से 55 तथा 57 से 66, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोक्तों में न्यूनतम वेतन की दर अभी तक शेषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनिश्चित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जुलाई से दिसंबर, 2023 की छः माहों का औसत सूचकांक 400 रहा है, अतः इसके कारण गत छः माहों में अत्यंत कठोर गये अधिनियम भारतीय उपलब्धता मूल्य सूचकांक के औसत (386) के ऊपर (400-386)= 14 औसत वित्तीयों की वृद्धि अनुसार परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में दिनांक 01.04.2024 से रुपये 350/- प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप लाभ, उच्च न्यायालय, खड़पीठ इन्दौर द्वारा सचिका क्र. WP.10772/2024 एवं WP.9401/2024 आदि में दिनांक 21.सई.2024 को पारित स्वगत आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.04.2024 से जारी दौरे निम्नानुसार रहेगी:-

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित नियोक्तों में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान में) (अग्रहण रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्यभर की दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
अर्धकुशल	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
कुशल	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527

अनुसूची - ब

श्रमिकों के अतिरिक्त श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से न्यूनतम वेतन की दरें

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है। (26 दिन के मान में) (अग्रहण रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्यभर की दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
पेकर, गट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3975	152.88	10680	410.77	411
मुनीम, लैकावर, क्लर्क आदि	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
रोलर्स, जिन्नी पाईन्टर्स	9522	366.23	3975	152.88	13497	519.12	519
उच्चकुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
कटर्स	10155	390.57	3975	152.88	14130	543.46	543

अनुसूची - स**किसी मुद्रणालय में नियोजन**

मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है।

(26 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउन्डअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुपाल	6500	250.00	3675	141.35	10175	391.35	391
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424
उच्च कुशल	9735	374.42	3975	152.88	13710	527.31	527
प्रथम श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	3975	152.88	13660	525.38	525
श्रेणी दो	9378	360.69	3975	152.88	13353	513.58	514
श्रेणी तीन	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
अर्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3975	152.88	12410	477.31	477
श्रेणी दो	7057	271.42	3975	152.88	11032	424.31	424

अनुसूची - क

राज्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन श्रेणी कर्मिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दर जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है।

(30 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

कर्मिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउन्डअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुपाल	6500	216.66	3675	122.50	10175	339.17	339
अर्धकुशल	7057	235.23	3975	132.50	11032	367.73	368
कुशल	8435	281.16	3975	132.50	12410	413.67	414
उच्चकुशल	9735	324.50	3975	132.50	13710	457.00	457

अनुसूची - द (कृषि नियोजन)

जुलाई से दिसंबर, 2021 तक जारी का कृषि शक्ति उपभोग का अंशक 8236 है, इसके पूर्व की 30 मही का औसत 1180 था, जिसके कारण 56 किन्तुओं की वृद्धि होने से कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सहित निम्नलिखित न्यूनतम वेतन देय होगा - (30 दिन के मान में) (आंकड़े रुपये में)

कर्मिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रुपये में राउन्डअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अनुपाल	5350	178.33	2608	93.60	8158	271.93	272

बीडी नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें दिनांक 01.04.2023 निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनीय मंजूवाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीडी रोजर (1000 बीडी बेलने के लिए)	74.00	36.68	110.68

नोट - एक हजार बीडी रोजर पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनीय मंजूवाई भत्ते रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को वनस पेंटे 9 रुपये 68 पैसे (8.33%), अखिल अवकाश के एवज में नसद भुगतान 5 रुपये 53 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि राक्य नियोजक का अंशदान 11 रुपये 62 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 137 रुपये 51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी बेलने पर दिनांक 01.04.2024 से श्रमिकों से 11 रुपये 62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रुपये 62 पैसे उपरोक्त शुद्ध राशि 134 रुपये 27 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरवल्ली नियोजन

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के उपर गलत छ.राजी में औसत सूचकांक 386 के उपर औसत 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरें निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - एक (अगरवल्ली नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दर	परिवर्तनीय मंजूवाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरवल्ली रोजर (1000 अगरवल्ली रोजर कलने पर) साधारण दर	21.40	रु. 39.75	रुपये 61.15
(ब) सुगंधित (सेटेंड)	22.00	रु. 39.75	रुपये 61.75

स्पष्टीकरण - 1. म.प्र.न्यूनतम वेतन सलाहकार परिषद की 05क दिनांक 20.6.2006 में हुई धर्षा में सर्वोत्तमति से परिणत प्रत्येक अनुसार मजदूरी निर्धारण में पैरा तथा रुपये के गुणकों के राजगुडअप क्यके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निर्धारित की जाए। तदनुक्य परिधिष्ठित रुपये में राजगुडअप का दैनिक ही निर्धारित की जाए।

- वित्त विभाग के परिषद का एक 9-73-7/2006/विमज/घार, दि. 30 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे का उसमें अधिक पैरा ही जो कर्त्तव्य मजदूरी रुपये में पुनरीक्षित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।
- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प्र.एनएम दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अनुपाल अधिष्ठा हुनु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावी की गई है।

(स्थान कुमाव सिंह)

बिनायक

अध्यक्ष प्रदेश, इन्दौर

१२

पेस विवरण

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2024 से लागूवर्ती वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को दैन्य परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ते की दर में दिनांक 01.04.2024 से रुपये 350.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में क्वॉरंटेन श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दर घोषित की जाती है, जो अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संघट्ट की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2023 तक की छ:माही में कुल सूचकांक का औसत 400 रहा है। इसके धारण गत छ:माही में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386 के ऊपर 14 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से $25 \times 14 = 350.00$ रुपये (तीन सौ पचास रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि शमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ता कुल रुपये 1975/- प्रतिमाह अथवा रुपये 152.88 प्रतिदिन देय है।

अतः शमायुक्त द्वारा घोषित मंद्गाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अधिसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10175/- या प्रतिदिन रुपये 391.35, अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 11032/- या प्रतिदिन रुपये 424.31, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12410/- या प्रतिदिन रुपये 477.31 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13710/- या प्रतिदिन रुपये 527.31 पैसे देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छ:माहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1236-1180) = 56 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंद्गाई भत्ता में प्रतिमाह रुपये 336/- की वृद्धि शमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 8158/- या प्रतिदिन रुपये 271.93 पैसे की मजदूरी मंद्गाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीडी चेल्ले पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ता सहित रुपये 110.68 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को बोनस पर्ट रुपये 9.68 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के घणन में मकद सुरक्षित रुपये 05.53 पैसे (5%), एवं भविष्य निधि वावटे नियोजक का अंशदान रुपये 11.62 पैसे (10%), इस प्रकार कुल रुपये 137.51 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 23.24 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी चेल्ले पर दिनांक 01.04.2024 से 30.09.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.62 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.62 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि रुपये 114.27 पैसे प्रति हजार बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छ:माहों का औसत 400 रहा है। जो इसके पूर्व की छ:माहों के औसत 386 से ज्यादा है, इसके कारण गत छ:माहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (400-241) 59 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (400-386) औसत 14 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.04.2024 से परिवर्तनशील मंद्गाई भत्ता मिलाकर मध्याह्न अगरबत्ती के लिए रुपये 61.15 पैसे तथा सुरक्षित अगरबत्ती के लिए रुपये 61.75 पैसे प्रतिहजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में ऐसे तय्ये रुपये के तुल्यता को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिचय क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/घार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकृत किया जावेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्व/घाघ/2006/16067-069
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 24/5/24

1. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के सहायक दैनिक समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
2. उपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित।



(स्वातंत्र पुजार सिंह)
श्रम आयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



वन आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वै/पाच/2024/

16070-110


इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, क्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनाएं प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके एच क्रमांक 303/अन/577/92/जि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनाएं प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सार्वजनिक प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन प्रसाधन विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वस्थता एवं सार्विकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (सहाय शाखा)।
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पत्त विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरपाल प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, तमसा घाटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जन कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महासंचालक, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप निरीक्षक, शासकीय प्रादेशिक भूभागलय, ग्वालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति अर्जतें हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के राजपत्र दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राज्य आयुक्त, वनसत मयत, भोपाल।
- 21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- वैमट निदेशक, अन्वयशाखाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- सहायक संचालक आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- सहायक संचालक, मध्यप्रदेश।
- 25- सहायक संचालक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- संचालक, सूचि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जन संपादन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वस्थता एवं सार्विकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख पत्त संचालक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर सहायक, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर।

32. समस्त उप श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
33. संचालक/समस्त संयुक्त संचालक/ उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक रसायन एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
34. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
35. समस्त श्रम पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश।
36. प्रभारी अधिकाारी, समस्त संचाल, श्रम आयुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
37. सचिव, ज.प्र.भाषा एवं अन्य सतिमोण कार्यक्रम कल्याण मंडल, भोपाल।
38. सचिव, म.प्र. शस्त्री एवं जालीण असंगठित कार्यकार कल्याण मंडल, भोपाल।
39. सचिव, म.प्र. स्पोर्ट एवं पैसिल कार्यक्रम कल्याण मंडल, मटसौर।
40. कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
41. लीडर ध्युरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत हज़ारत नियोजनी से न्यूनतम वेतन परिवर्तनील मंत्रालु भन्ने सहित पत्रावलील कराने के लिय जिलो से पदस्थ श्रम निरीक्षको को संबधित प्रभारी अधिकाारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन पठान करे।


(स्वतंत्र कुमार सिंह)

कलायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वेष/पॉष/2024/

16111-360


इन्दौर, दिनांक 24/05/2024

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, रघोपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, नियाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाड़ा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, रघोपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, नियाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाड़ा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी/ सहायक श्रम पदाधिकारी/ श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बहवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, रघोपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, नियाडी, जबलपुर, कटनी, छिदवाड़ा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- मंजूर संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हयजित लेब इंदौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, रीवा(सागर)।
- 9- सचिव, म.प्र. अवन एवं अन्य संविभांग कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्वेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर ऑफिस, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अप्रैल 2024 से लागू परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दर।

उपरोक्त विषयसंबंधित मान.उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा याचिका क्रमांक 10772/2024 एवं 9401/2024 आदि में दिनांक 21 मई, 2024 को पारित स्वयंसेवक आदेश के परिप्रेक्ष्य में श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समस्त नियोज्जनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दर दिनांक 01.04.2024 से प्रभावशील की गई है। उपर्युक्त दर पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mponline.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।


(सन्दीप कुमार सिंह)

अमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर



उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या:- — /VIII-1/26-32(श्रम)/2016-TC

देहरादून, दिनांक: 17 फरवरी, 2026

अधिसूचना

राज्य में उत्तराखण्ड दुकान एवं स्थापन अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 3 वर्ष 2018) लागू है, के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम में दुकानों/स्थापनों के खुलने एवं बंद किये जाने के समय के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात् दुकान/स्थापन स्वामी कार्य एवं व्यापार की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि चाहें तो दुकान/स्थापनों को 24x7 खुला रख सकते हैं। परन्तु दुकानों/स्थापनों में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य के घण्टे एवं अवकाश उक्त अधिनियम के प्राविधानानुसार ही रहेंगे।

(डॉ० श्रीधर बाबू अददांकी)
सचिव।

संख्या-195 (1)/VIII-1/26-32(श्रम)/2016-TC, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड को मा० श्रम मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. श्रम आयुक्त/मुख्य निरीक्षक, कारखाना उत्तराखण्ड।
5. अपर/संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. उप/सहायक निदेशक, कारखाना/बॉयलर, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से
Jyoti
(ज्योति बाला)
अनु सचिव।